दिसंबर, 2025 कार्तिक-मार्गशीर्ष 2082 अंक-1

सदन संदेश

हरियाणा विधान सभा की पत्रिका

सभा के मत और प्राधिकार में प्रशासन की शुद्धता को स्थिर रखने की अधिक शक्ति है, जिससे कि कोई अन्य बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती।

- डॉ. बी.आर.अम्बेडकर, (सं.स.,31 दिसंबर,1948)

www.haryanaassembly.gov.in
https://hrla.neva.gov.in
@haryanavidhansabha
प्रतिका की कॉपी डाउनलोड करने के लिए स्कैन करें

हरियाणा की धरती से "कर्म" का संदेश

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन:
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि।।2.47।।

मा. अध्यक्ष का संदेश

जनता का विश्वास बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी

हम जानते हैं, भारत का लोकतंत्र विश्व के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्रों में से एक है। इसकी असली ताकत जनता की भागीदारी और उनकी आवाज़ व भावनाओं को महत्व देने में है। लोकतंत्र की आत्मा हमारी विधायिका, यानी संसद और राज्य विधानमंडलों में बसती है, जहां कानून बनाए जाते हैं और कार्य पालिका की जवाबदेही तय होती है। एक आम नागरिक जब मतदान करता है, तो वह अपने विश्वास और उम्मीदों को अपने प्रतिनिधियों के हाथ में सौंपता है।

इसलिए जनप्रतिनिधियों का धर्म बनता है कि वे जनता के विश्वास की रक्षा करें। सदन में सार्थक चर्चा से ही जनता का भरोसा मजबूत होता है। संवाद की संस्कृति बनाए रखना और मतभेदों को सहयोग के पुल में बदलना प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी है। इसके साथ एक और बात ध्यान देने योग्य है कि विधायक और सांसदों के लिए शोध, विश्लेषण और प्रशिक्षण भी अत्यंत आवश्यक हैं। साक्ष्य-आधारित विचार और विधायी शोध जनसमस्याओं के समाधान के लिए अत्यंत सहायक हैं।

प्रतिनिधियों की भूमिका है कि वे अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाकर न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता सहित पर्यावरण सुरक्षा जैसी भविष्य की चुनौतियों से संबंधित व्यापक अपेक्षाओं का समाधान कराएं। लोकतंत्र तभी मजबूत रहेगा जब विधायक और विधानमंडल जनता की उम्मीदों के सच्चे प्रतिनिधि बनकर बहस को प्रगति का साधन बनाएं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है। इसे साकार करने के लिए प्रत्येक भारतीय को निष्ठापूर्वक कड़ी मेहनत करनी होगी।

हम अपने गौरवशाली अतीत से सीख लेकर वर्तमान का सदुपयोग करें उसमें ही सुनहरे भविष्य की कुंजी है। हरियाणा विधान सभा की ओर से 15वीं विधान सभा की पत्रिका 'सदन संदेश' इसी उद्देश्य से प्रकाशित की जा रही है, ताकि माननीय सदस्यों और पाठकों को उपयोगी जानकारी और विचारों की अभिव्यक्ति का मंच उपलब्ध हो सके। मुझे विश्वास है कि यह पत्रिका हमारे जागृत सम्माननीय सदस्यों व पाठकों के लिए उपयोगी व मार्गदर्शिका साबित होगी।

इसी विश्वास के साथ,
हरविन्द्र कल्याण

दिसंबर, 2025 अंक-1
कार्तिक-मार्गशीर्ष वि.सं. 2082,
www.haryanaassembly.gov.in

संरक्षक-मण्डल
प्रो. असीम कुमार घोष, मा.राज्यपाल
श्री नायब सिंह सैनी, मा. मुख्यमंत्री
डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा, मा.उपाध्यक्ष
श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मा. नेता प्रतिपक्ष

प्रधान सम्पादक
श्री हरविन्द्र कल्याण
माननीय अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा

सलाहकार सम्पादक
डॉ. चन्द्र त्रिखा, वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक

सह-प्रधान सम्पादक
श्री रामनारायण यादव
सलाहकार- अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा

प्रकाशक
श्री राजीव प्रसाद ,सचिव,हरियाणा विधान सभा

सम्पादन-मण्डल
श्री नवीन, अवर सचिव
श्री वीरेंद्र कुमार,जन सम्पर्क अधिकारी
श्री रमेश सिंह, सहायक
श्री राकेश कुमार, डेवलपर

संपर्क
सदन संदेश,हरियाणा विधान सभा सचिवालय,
सेक्टर-1, चण्डीगढ़-160001
Telephone No. 0172-2740030
Email ID: speaker@hry.nic.in
mediacell-hvs@hry.gov.in

अनुक्रम

1. हरियाणा की धरती से “कर्म” का संदेश 01
2. संदेश, मा.अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा 02
3. अनुक्रम 03
4. भारतीय संविधान की उद्देशिका 04
5. संदेश (गणमान्य व्यक्तियों के) 05
6. हरियाणा मंत्रिमंडल 14
7. माननीय सासंद (हरियाणा) 15
8. 15वीं विधान सभा के सदस्यों का विवरण 16
9. 15वीं हरियाणा विधान सभा-सदस्यों की शैक्षणिक प्रोफ़ाइल 21
10. दलवार स्थिति 22
11. 40 वर्ष से कम आयु के सदस्य 23
12. विधान सभा में महिला सहभागिता 24
13. सत्र समीक्षा: प्रथम, द्वितीय व तृतीय 25
14. 15वीं वि.स. के प्रथम वर्ष के सत्रों का कार्य विवरण 36
15. 15वीं वि.स. में रूलिंग/आब्ज़र्वेशन/अन्य मुद्दे 38
16. 15वीं वि.स. की विधान सभा समितियों का विवरण 39
17. विधायी कामकाज के निमित्त मा.अध्यक्ष की यात्राएं 43
18. गणमान्य व्यक्तियों का ह.वि.स. का दौरा 46
19. संकल्प/प्रस्ताव 48
20. हरियाणा के गौरव स्वतंत्रता सेनानी 52
21. सशक्त विधायिका: समृद्ध समाज व विकसित भारत की आधारशिला
    - प्रधानमंत्री की सोच 54
    - लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में विधायिका सशक्तिकरण की पहल 56
    - हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष का प्रयास 58
      - Reformative Steps/ Programmes taken by Haryana Vidhan Sabha 58
      - Programmes for Future 61
22. विधायी कामकाज सशक्तिकरण गतिविधियाँ 62
23. संविधान के रोचक तथ्य 67
24. विधान सभा परिसर -विधायी साझेदारी का विलक्षण नमूना 69
25. राष्ट्रीयता का अर्थ समझें ''स्याहपोश जरनैल'' से 70
26. शून्यकाल- विधायिका की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया 72
27. हरियाणा राज्यगीत 74

भारतीय संविधान की उद्देशिका

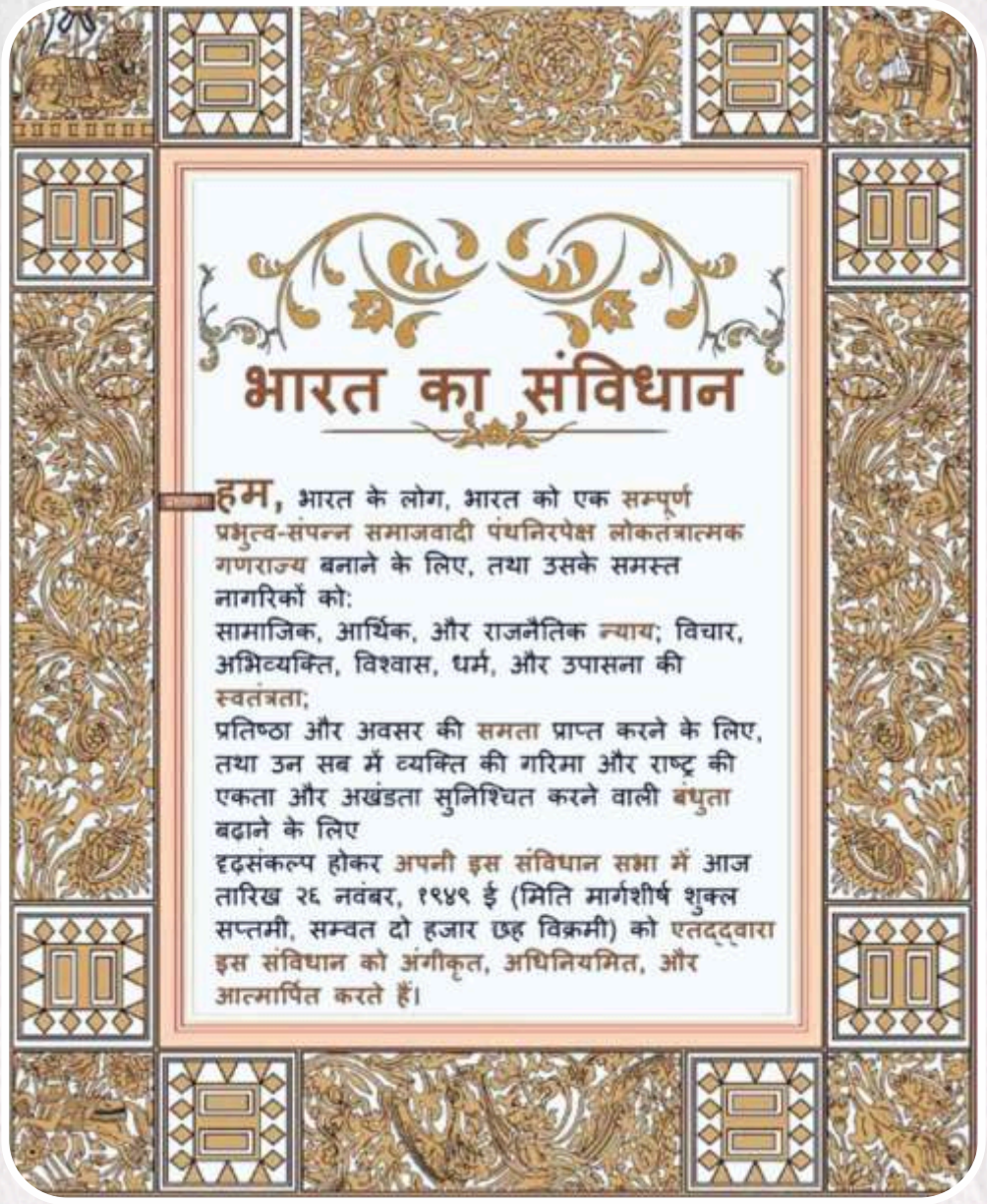

भारत का संविधान

हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:
सामाजिक, आर्थिक, और राजनैतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, और उपासना की स्वतंत्रता;
प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए
दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारिख २६ नवंबर, १९४९ ई (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, सम्वत दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, और आत्मार्पित करते हैं।

संदेश

सत्यमेव जयते

हरियाणा की 15वीं विधानसभा के एक वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश की कर्मठ जनता, समर्पित जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह एक वर्ष न केवल लोकतांत्रिक जिम्मेदारियों के सफल निर्वहन का प्रतीक रहा है, बल्कि विकास, सुशासन और जनभागीदारी की दिशा में हरियाणा की निरंतर बढ़ती यात्रा का साक्षी भी रहा है।यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस विशेष अवसर पर 'सदन संदेश' पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

विकसित भारत के जिस संकल्प को लेकर आज अपने एकनिष्ठ प्रयासों के साथ देश आगे बढ़ रहा है, उससे संबंधित विषयों को पत्रिका में शामिल किया जाना सराहनीय है।विकास की इस यात्रा में हरियाणा ने सदैव ही एक अग्रणी भूमिका निभाई है। आधुनिक कृषि से लेकर उद्योग, शिक्षा से लेकर सुरक्षा, साथ ही खेल और कौशल विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में यहां की ऊर्जा और प्रगतिशील विचारों ने राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

बीते वर्ष में प्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, निवेश बढ़ाने, युवाओं के लिए अवसर सृजित करने और ग्रामीण-शहरी संतुलित विकास को गति देने के अनेक प्रयास हुए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये प्रयास आने वाले समय में हरियाणा को और सशक्त और समृद्ध बनाएंगे।जनकल्याण के प्रति जनप्रतिनिधियों का समर्पण लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है।

जनता की आकांक्षाओं को नीतियों में परिवर्तित करने, विकास को जन-जन तक पहुंचाने और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।मुझे विश्वास है कि हरियाणा विधानसभा के सभी सदस्य अपने कर्तव्यों का निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ पालन करते हुए प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अपना निरंतर योगदान देते रहेंगे। हरियाणा विकास, पारदर्शिता और जनकल्याण की राह पर इसी प्रकार आगे बढ़ता रहे, इस विश्वास के साथ प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना करता हूं।

नई दिल्ली
कार्तिक 27, शक संवत् 1947
18 नवम्बर, 2025

नरेन्द्र मोदी,
प्रधान मंत्री

संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि हरियाणा विधान सभा सचिवालय द्वारा ''15वीं विधान सभा'' के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में दिनांक 01 नवंबर, 2024 को 'सदन संदेश' नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। यह पत्रिका हरियाणा विधान सभा सचिवालय की एक सराहनीय पहल है, जिसके माध्यम से संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा जनप्रतिनिधियों को अपने दायित्वों एवं गतिविधियों से परिचित कराने का उद्देश्य निहित है।

इस पत्रिका में सदन की समितियों की कार्यप्रणाली, लोकमहत्व के विविध विषयों से संबंधित गतिविधियाँ तथा सार्वजनिक एवं सार्वभौमिक महत्व के तथ्यों पर आधारित सामग्री प्रस्तुत की जा रही है। साथ ही, समाज में राजनीति और संसदीय प्रणाली के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु अनेक सारगर्भित आलेख शामिल किए गए हैं। सदन के नियमों और परंपराओं पर आधारित लेख भी पाठकों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 'सदन संदेश' पत्रिका एक मील का पत्थर सिद्ध होगी और जनप्रतिनिधियों एवं पाठकों दोनों के लिए उपयोगी साबित होगी।

मैं हरियाणा विधान सभा सचिवालय को 'सदन संदेश' पत्रिका के प्रकाशन पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ और इसकी पूर्ण सफलता की कामना करता हूँ।

प्रो० असीम कुमार घोष,
राज्यपाल, हरियाणा

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि हरियाणा विधान सभा सचिवालय द्वारा 15वीं हरियाणा विधान सभा का एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में 'सदन संदेश' नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। हरियाणा विधान सभा ने प्रदेश के नागरिकों के कल्याण, सशक्तीकरण, सामाजिक न्याय और समग्र विकास में महती भूमिका निभाई है। इस सम्मानित सदन ने भूमि-सुधार, महिला अधिकार, शिक्षा तथा ग्रामीण व शहरी विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर समय-समय पर ऐतिहासिक विधेयक पारित कर न केवल हरियाणा की प्रगति के मार्ग को प्रशस्त किया है, बल्कि पूरे देश की लोकतांत्रिक चेतना को ऊर्जा देने का कार्य भी किया है।

विगत एक वर्ष में 15वीं हरियाणा विधान सभा के सम्मानित सदस्यों ने जन-सरोकारों और लोकहित के मुद्दों को जिस सजगता, संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ सदन में उठाया है, वह अत्यंत प्रशंसनीय है। सदन के माननीय पीठासीन अधिकारी ने सदन की मर्यादा और गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए संचालन का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है तथा उनके विभिन्न नवाचारों से सदन की कार्यकुशलता, उत्पादकता और प्रभावशीलता को बढ़ाने हेतु सार्थक प्रयास किए हैं। मुझे विश्वास है कि 'सदन संदेश' पत्रिका न केवल विधान सभा के विगत एक वर्ष में किए गए उल्लेखनीय कार्यों, योगदानों और नवाचारों को लिपिबद्ध करेगी, बल्कि भविष्य की दिशा निर्धारित करने में भी मार्गदर्शक सिद्ध होगी। निश्चित रूप से यह प्रयास प्रदेश की विधायी यात्रा को साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत करने तथा लोकतांत्रिक चेतना के संवर्धन की दृष्टि से भी प्रशंसनीय है।

मैं हरियाणा विधान सभा के माननीय अध्यक्ष, श्री हरविन्द्र कल्याण जी, सभी माननीय सदस्यों तथा सचिवालय के समर्पित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके अमूल्य योगदान के लिए बधाई देता हूँ और 'सदन संदेश' के सफल प्रकाशन की मंगलकामना करता हूँ।

ओम बिरला,
अध्यक्ष, लोक सभा

संदेश

दिनांक: 21 अक्तूबर, 2025

प्रिय हरविन्द्र कल्याण जी,

आपका पत्र (दिनांक 17 अक्टूबर, 2025) प्राप्त हुआ । आपको और आपके माध्यम से हरियाणा की 15 वीं विधान सभा के सभी माननीय सदस्यों को, पहला सफल वर्ष पूरा होने की हार्दिक बधाई । साथ ही भावी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं।

यह जानकर खुशी हुई कि इस अवसर को स्मरणीय बनाने के लिए, आपके मार्गदर्शन में विधान सभा सचिवालय ने " सदन संदेश" पत्रिका के प्रकाशन का निर्णय किया है । इसमें न केवल सार्वजनिक हितों पर तथ्यपरक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके लिए राज्य विधान सभा निरंतर प्रयासरत रही है, बल्कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में जनता द्वारा चुने गए विधाई निकायों की केंद्रीय भूमिका, उनके संवैधानिक कर्तव्य, मर्यादाएं और प्रक्रियाएं, इनकी भी प्रामाणिक जानकारी दी जाएगी। एक प्रकार से विगत वर्ष में हरियाणा विधान सभा और उसके मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों का लेखाजोखा जनता के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इस तरह यह पत्रिका, हमारी संवैधानिक व्यवस्था के बारे में लोक शिक्षण का माध्यम बनेगी। आपकी यह पहल, जनता की दृष्टि में भारतीय लोकतंत्र और हरियाणा विधान सभा की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता में वृद्धि करेगी। इस प्रकाशन की यही सार्थकता होगी।

आपके मार्गदर्शन में हरियाणा विधान सभा द्वारा की गई सकारात्मक पहल का मुझे स्वयं अनुभव रहा है, मैं खुद उसमें शामिल हुआ हूं। देश भर के शहरी निकायों के अध्यक्षों और प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित करके, हरियाणा विधान सभा ने सिद्ध किया है कि प्रदेश विधान सभाएं, हमारे स्थानीय निकायों के लिए लोकतांत्रिक प्रशासन का मानदंड बन सकती हैं। स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण के लिए यह सम्मेलन एक सराहनीय कदम था।

क्रमश:

विभिन्न प्रदेशों की विधान सभाओं द्वारा, संसद और विधान सभाओं की समितियों के सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। संसद और विधान सभाओं के बीच ऐसे परस्पर संवाद से अपनी - अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करने का अवसर मिलता है। यह प्रयास देश में " विधाई संघवाद" के लिए बड़ा ही शुभ संकेत है। इन सभी सम्मेलनों में हरियाणा विधान सभा के प्रतिनिधियों का योगदान उल्लेखनीय रहा है।

आज जब देश 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य ले कर आगे बढ़ रहा है, तब यह जरूरी हो जाता है कि हमारे विधाई निकाय, इस यज्ञ का मार्गदर्शन करें। नीतिगत नेतृत्व प्रदान करें। तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को प्रोत्साहन देने के लिए परिवेश तैयार करें। समावेशी विकास का ऐसा मॉडल तैयार करें, जिसमें किसान, जवान, महिलाओं और वंचितों की अपेक्षाओं को उचित स्थान मिले। इसी उम्मीद के साथ जनता ने इस विधान सभा का चुनाव किया है। उस उम्मीद पर यथासंभव खरा उतरना ही माननीय सदस्यों का कर्तव्य है।

मुझे विश्वास है कि हरियाणा की 15वीं विधान सभा, प्रदेश के चतुर्दिक समावेशी विकास का मार्गदर्शन करने के लिए तत्पर है।

एक बार फिर हरियाणा की 15वीं विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में आपको और सभी माननीय सदस्यों को इस सुअवसर की बधाई एवं भावी कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं !

" सदन संदेश" का प्रकाशन करने के लिए, विधान सभा सचिवालय समेत इस पत्रिका के संपादन मंडल को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

आपका,

हरिवंश,
उप-सभापति, राज्य सभा

संदेश

यह हर्ष का विषय है कि हरियाणा विधान सभा सचिवालय द्वारा 15वीं विधान सभा के एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर ''सदन संदेश'' नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

विधान सभा को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। विधायिका के रूप में ये संस्थाएं लोगों की इच्छा के साथ-साथ उनकी आकांक्षाओं का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। अनुशासन और स्वस्थ विचार मंथन लोकतंत्र की आत्मा है। इसमें प्रदेश की जनता की आस्था जुड़ी है। यहां पर नीति व कानून बनाए जाते हैं। लोगों की आकांक्षाओं को साकार करने का सार्थक और प्रभावी माध्यम है।

हरियाणा विधान सभा द्वारा सभी सदस्यों को अपने-अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाने तथा अपनी बात सदन के समक्ष रखने का समान अवसर दिया जाता है।

यह हमारे लिए ओर भी खुशी की बात है कि हरियाणा की १५वीं विधान सभा का एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में प्रकाशित की जा रही पत्रिका हम सब का मार्गदर्शन करेगी। मैं ''सदन संदेश'' पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।

नायब सिंह,
मुख्यमंत्री, हरियाणा

संदेश

हरियाणा विधान सभा हमारे लोकतांत्रिक जीवन की सर्वोच्च संस्थाओं में से एक है । यही वह मंच है जहाँ जनभावनाएँ नीति और संकल्प का रूप लेती हैं, और जहाँ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से संविधान की आत्मा साकार होती है । 'सदन संदेश' पत्रिका इस सतत प्रक्रिया की सजीव अभिव्यक्ति है। यह केवल एक प्रकाशन नहीं, बल्कि विचार, संवाद और संवैधानिक परंपराओं का जीवंत दस्तावेज़ है।

हमारा संविधान विधानमंडलों को केवल कानून बनाने का माध्यम नहीं मानता, बल्कि उन्हें उत्तरदायित्व, मर्यादा और लोककल्याण के आदर्शों का संरक्षक बनाता है । सदन की गरिमा उसके सदस्यों के आचरण, धैर्य और परस्पर सम्मान से बनी रहती है । यही अनुशासन और संवाद की भावना लोकतंत्र को उसकी वास्तविक शक्ति प्रदान करती है।

विधानमंडल तब ही सशक्त होता है जब विचारों का मतभेद भी गरिमा के साथ व्यक्त हो और असहमति भी शालीनता का परिचय दे । इसी संस्कार से लोकतंत्र परिपक्व होता है और समाज में संवाद की संस्कृति मजबूत होती है । हर चर्चा, हर निर्णय और हर प्रस्ताव के पीछे जब लोकहित की भावना हो, तभी सदन वास्तव में जनता की आशाओं का केंद्र बनता है।

मुझे विश्वास है कि 'सदन संदेश' पत्रिका ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों और संसदीय परंपराओं को आगे बढ़ाती रहेगी । यह पत्रिका न केवल माननीय सदस्यों के रचनात्मक योगदानों को जन-जन तक पहुँचाती है, बल्कि हमारे संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों में गहरी समझ भी उत्पन्न करती है।

संपादकीय टीम को उनके रचनात्मक प्रयासों के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ तथा 'सदन संदेश' पत्रिका की निरंतर प्रगति और सफलता के लिए मंगलकामनाएँ।

डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा,
उपाध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा

संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि हरियाणा विधान सभा सचिवालय ''सदन संदेश'' नामक पत्रिका का प्रकाशन हरियाणा की 15वीं विधान सभा के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में करने जा रहा है। यह पहल न केवल लोकतांत्रिक परंपराओं को सुदृढ़ करेगी बल्कि जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद और समझ को भी गहरा बनाएगी।

''सदन संदेश'' पत्रिका के माध्यम से विधान सभा सचिवालय का उद्देश्य संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, माननीय सदस्यों को उनके दायित्वों से अवगत कराना और सदन की कार्यप्रणाली, समितियों की गतिविधियों तथा लोकमहत्व के विषयों पर सारगर्भित जानकारी उपलब्ध करवाना है।

यह पत्रिका हरियाणा केंद्रित विषयों पर मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करेगी और समाज में राजनीतिक व संसदीय व्यवस्था के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक सिद्ध होगी।

मुझे विश्वास है कि ''सदन संदेश'' के प्रकाशन से न केवल माननीय सदस्यों बल्कि आम नागरिकों को भी विधायी कार्यों और संसदीय परंपराओ की गहराई को समझने का अवसर मिलेगा।

मैं पत्रिका के सफल प्रकाशन में हरियाणा विधान सभा सचिवालय के रचनात्मक प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।

महिपाल ढांडा,
संसदीय कार्यमंत्री, हरियाणा

संदेश

हरियाणा प्रदेश की पंद्रहवीं विधान सभा के एक वर्ष के कार्यकाल की पूर्णता के उपलक्ष्य में प्रकाशित की जा रही पत्रिका 'सदन संदेश' का उद्देश्य और इसके प्रकाशन के लिए किए जा रहे प्रयास अत्यंत सराहनीय हैं। हमारे संविधान में प्रदत्त लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत प्रदेश की विधान सभा वह सर्वोच्च एवं गरिमामयी संस्था है, जहां निर्वाचित जन-प्रतिनिधि जनता की समस्याओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की निष्पक्ष एवं निर्भीक अभिव्यक्ति करते हैं। साथ ही लोक कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर गहन मंथन भी इसी सदन में होता है।

यही सदन प्रदेश की कार्यपालिका का निर्माण करता है तथा उसके कार्यकलापों की निगरानी और नियंत्रण का उत्तरदायित्व भी निभाता है। अपने इन अत्यंत महत्वपूर्ण कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने के लिए यह आवश्यक है कि सदन की कार्यवाही सुचारू, मर्यादित और अनुशासित ढंग से संचालित हो। इस सुचारू संचालन की सामूहिक जिम्मेदारी सदन के पीठासीन अधिकारी और सभी माननीय सदस्यों पर समान रूप से निहित है। यह सत्य है कि लोकतंत्र का आधार 'नियम का शासन' है, और नियम किसी भी संस्था की जीवनरेखा होते हैं। परंतु सदन के सुचारू संचालन के लिए केवल लिखित नियमों का पालन ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए यह भी अनिवार्य है कि सभी सदस्य अपने विचारों, व्यवहार और वाणी में श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों तथा सामाजिक शिष्टाचार के सिद्धांतों को अपनाएं।

सदन की परंपराओं, विधियों और मर्यादाओं का पालन करते हुए एक-दूसरे की भावनाओं और अधिकारों का सम्मान करना, शालीन भाषा का प्रयोग करना, तथा अनुशासित आचरण बनाए रखना ही लोकतांत्रिक मूल्यों की सच्ची नींव है। कहा गया है कि शिष्टाचार एक ऐसा महान गुण है जो मानवता का सर्वोत्तम परिचायक है। यह भी सत्य है कि समाज के अग्रणी अथवा विशिष्ट व्यक्ति का आचरण ही समाज के अन्य लोगों के लिए आदर्श बन जाता है। जब कोई नेता मर्यादित, सुसंस्कृत और संयमित व्यवहार करता है, तो समाज के लोग उसी आचरण को अनुकरणीय मानकर अपनाते हैं। मेरा विश्वास है कि यह पत्रिका 'सदन संदेश' हमारे माननीय सदस्यों के वचन और व्यवहार में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करने में सफल सिद्ध होगी और प्रदेश की राजनीतिक संस्कृति में सुखद व सकारात्मक परिवर्तन की प्रेरक बनेगी।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा,
नेता प्रतिपक्ष, हरियाणा विधान सभा

हरियाणा मंत्रिमंडल

श्री नायब सिंह , मुख्यमंत्री

गृह, वित्त तथा संस्थान वित्त और ऋण नियंत्रण, आबकारी एवं कराधान, योजना, नगर तथा ग्राम नियोजन एवं शहरी सम्पदा, सूचना, जनसंपर्क, भाषा तथा संस्कृति सर्वस्व, कानून एवं विधायी कार्य, सामान्य प्रशासन, संस्कृति,आवास एवं अन्य असंबद्ध विभाग एवं न्याय प्रशासन, अपराधिक जांच कर्मिक एवं प्रशिक्षण

श्री अनिल विज
ऊर्जा, परिवहन, श्रम

श्री कृष्ण लाल पंवार
विकास एवं पंचायत, खनन एवं भूविज्ञान

राव नरबीर सिंह
उद्योग एवं वाणिज्य, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव, विदेशी सहयोग, सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण

श्री महिपाल ढांडा
विद्यालय शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, अभिलेखागार, संसदीय मामले

श्री विपुल गोयल
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, शहरी स्थानीय निकाय, नागरिक उड्डयन

श्री अरविंद कुमार शर्मा
सहकारिता, जेल, चुनाव, विरासत एवं पर्यटन

श्री श्याम सिंह राणा
कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी, मत्स्यपालन

श्री रणबीर सिंह गंगवा
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रिकी, लोक निर्माण विभाग

श्री कृष्ण कुमार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, अन्त्योदय (सेवा), अतिथि सत्कार एवं वास्तुकला

श्रीमती श्रुति चौधरी
महिला एवं बाल विकास, सिंचाई एवं जल संसाधन

राज्य मंत्री सूची

आरती सिंह राव
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुष, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान

श्री राजेश नागर
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले (स्वतंत्र प्रभार); मुद्रण एवं लेखन समाग्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री गौरव गौतम
युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता (स्वतंत्र प्रभार); खेल (स्वतंत्र प्रभार); कानून एवं विधायी मामले

माननीय सांसद (लोक सभा)

केन्द्रीय मंत्री

ऊर्जा, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री

श्री मनोहर लाल
करनाल

केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन और योजना संस्कृति (राज्य मंत्री)

राव इन्द्रजीत सिंह
गुरुग्राम

केंद्रीय राज्य मंत्री

सहकारिता

श्री कृष्ण पाल गुर्जर
फरीदाबाद

श्री धर्मवीर सिंह
भिवानी

कुमारी शैलजा
सिरसा

श्री जय प्रकाश
हिसार

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा
रोहतक

श्री नवीन जिन्दल
कुरूक्षेत्र

श्री वरूण चौधरी
अम्बाला

श्री सतपाल ब्रहम्चारी
सोनीपत

माननीय सांसद (राज्य सभा)

श्री सुभाष बराला

श्रीमती किरण चौधरी

श्री राम चन्द्र जांगड़ा

श्री कार्तिकेय शर्मा

श्रीमती रेखा शर्मा

सभा में दायित्व

**सभा में या तो प्रवेश न किया जाए, यदि प्रवेश किया जाए
तो वहां स्पष्ट और सच बात कही जाए
क्योंकि वहां न बोलने से या गलत बोलने से दोनों ही
स्थितियों में मनुष्य पाप का भागी बन जाता है।**

15वीं विधान सभा के सदस्यों का विवरण

सातवीं बार चुने गए विधायक

श्री अनिल विज
अम्बाला कैंट-04 | आयु-72
योग्यता-बी.एस.सी.

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान
बेरी-67 | आयु-81
योग्यता-एल.एल.बी., पी.एच.डी.

छठी बार चुने गए विधायक

श्री कृष्ण लाल पंवार
इसराना(अ.जा.)-26 | आयु-67
योग्यता-मैट्रिक

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा
गढ़ी सांपला किलोई-61 | आयु-78
योग्यता-बी.ए., एल.एल.बी.

पाँचवीं बार चुने गए विधायक

श्री निर्मल सिंह
अम्बाला शहर-05 आयु-72
योग्यता-बी.ए.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा
थानेसर-13 | आयु-67
योग्यता-मैट्रिक

श्रीमती गीता भुक्कल
झज्जर (अ.जा.)-66 | आयु-57
योग्यता-एम.ए., एल.एल.बी., बी.एड़

मोहम्मद इलियास
पुन्हाना-81 | आयु-71
योग्यता-बी.ए.

चौथी बार चुने गए विधायक

श्री चन्द्र मोहन
पंचकूला-02 | आयु-60
योग्यता-बी.ए. (ऑनर्स)

श्री घनश्याम सर्राफ
भिवानी-57 | आयु-62
योग्यता-बी.ए.

श्रीमती शकुंतला खटक
कलानौर(अ.जा.)-63 | आयु-57
योग्यता-नर्सिंग डिप्लोमा

राव नरबीर सिंह
बादशाहपुर-76 | आयु-64
योग्यता-बी.ए.

तीसरी बार चुने गए विधायक

चौ. अकरम खान
जगाधरी-08 | आयु-55
योग्यता-बी.ए.

श्री घनश्याम दास
यमुनानगर-09 | आयु-73
योग्यता-एल.एल.बी.

श्री नायब सिंह
लाड़वा-11 | आयु - 55
योग्यता - एल.एल.बी.

श्री हरविन्द्र कल्याण
घरौड़ा-22 | आयु-58
योग्यता-बी.ई. (सिविल)

श्री महिपाल ढांडा
पानीपत ग्रामीण-24 | आयु-51
योग्यता-बी.ए.

श्री राम कुमार गौतम
सफीदों-35 | आयु-79
योग्यता-बी.ए., एल.एल.बी.

सरदार जरनैल सिंह
रतिया(अ.जा.)-41 | आयु-64
योग्यता-बी.ए.

श्री विनोद भयाणा
हांसी-50 | आयु-68
योग्यता-बी.ए.

श्री रणबीर गंगवा
बरवाला-51 | आयु-61
योग्यता-बारहवीं

श्रीमती सावित्री जिन्दल
हिसार-52 | आयु-75
योग्यता-प्रभाकर

श्री भारत भूषण बत्तरा
रोहतक-62 | आयु-73
योग्यता-बी.ए., एल.एल.बी.

श्री ओम प्रकाश यादव
नारनौल-70 | आयु-68
योग्यता-बी.एस. (ऑनर्स)

डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा
जींद-36 | आयु-55
योग्यता-बी.ए.एम.एस.

श्री परमवीर सिंह
टोहाना-39 | आयु-70
योग्यता-बी.ए., एल.एल.बी.

चौ. आफताब अहमद
नूंह-79 | आयु-57
योग्यता-बी.कॉम, एल.एल.बी.

श्री मूलचंद शर्मा
बल्लभगढ़-88 | आयु-61
योग्यता-एम.ए.

दूसरी बार चुने गए विधायक

श्रीमती शैली चौधरी
नारायणगढ़-03 | आयु-59
योग्यता-अंडर मैट्रिक

श्रीमती रेनू बाला
सढ़ौरा(अ.जा.)-07 | आयु-45
योग्यता-एम.ए.

श्री श्याम सिंह राणा
रादौर-10 | आय-77
योग्यता-बी.ए. (ऑनर्स)

श्री राम करण
शाहबाद(अ.जा.)-12 | आयु-56
योग्यता-मैट्रिक

श्री भगवान दास
नीलोखेड़ी (अ.जा.)-19 | आयु-56
योग्यता-बी.कॉम.

श्री राम कुमार कश्यप
इन्द्री-20 | आयु-74
योग्यता-एम.ए., एल.एल.बी.

श्री कृष्ण कुमार
नरवाना(अ.जा.)- 38 | आयु-58
योग्यता-एम.एस.सी.

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया
फतेहाबाद-40 | आयु-57
योग्यता-ग्रेजुएट

श्री शीशपाल सिंह केहरवाला
कालावाली(अ.जा.)-42 | आयु-46
योग्यता-एम.ए., बी.एड़

श्री भरत सिंह बेनीवाल
एलेनाबाद-46 | आयु-68
योग्यता-स्वयं शिक्षित

श्री नरेश सेलवाल
उकलाना (अ.जा.)-48 | आयु-51
योग्यता-एम.ए.

श्री कुलदीप वत्स
बादली-65 | आयु-50
योग्यता-मैट्रिक

श्री प्रमोद कुमार विज
पानीपत शहर-25 | आयु-70
योग्यता-बी.एस.सी

श्रीमती कृष्णा गहलावत
राई-29 | आयु-74
योग्यता-एम.ए.

श्री इंदुराज सिंह नरवाल
बरोदा-33 | आयु-48
योग्यता-मैट्रिक, सीपीईडी

चौ. मामन खान
फिरोजपुर झिरका-80 | आय-58
योग्यता-बीटेक

श्री रघुबीर तेवतिया
पृथला-85 | आयु-67
योग्यता-बारहवीं

श्री लक्ष्मण सिंह यादव
रेवाड़ी-74 | आयु-64
योग्यता-बी.ए.

श्रीमती बिमला चौधरी
पटौदी(अ.जा.)-75 | आयु-58
योग्यता-मैट्रिक

श्री तेजपाल तंवर
सोहाना-78 | आयु-74
योग्यता-बारहवीं

श्री विपुल गोयल
फरीदाबाद-89 | आयु-53
योग्यता-बी.कॉम

श्री राजेश नागर
तिगांव-90 | आयु-56
योग्यता-बारहवीं

पहली बार चुने गए विधायक

श्रीमती शक्ति रानी शर्मा
कालका-1 | आयु-72
योग्यता-मैट्रिक

श्रीमती पूजा
मुलाना(अ.जा.)-06 | आयु-40
योग्यता-बी.कॉम,एल.एल.बी.

श्री मनदीप चट्ठा
पेहवा-14 | आयु-52
योग्यता-बी.ए., एल.एल.बी.

श्री देवेन्द्र हंस
गुहला(अ.जा.)-15 | आयु-45
योग्यता-मैट्रिक

श्री विकास सहारण
कलायत-16 | आयु-36
योग्यता-एल.एल.एम.

श्री आदित्य सुरजेवाला
कैथल-17 | आयु-27
योग्यता-बी.कॉम.

श्री मनमोहन भड़ाना
समालखा-27 | आयु-44
योग्यता-ग्रेजुएट

श्री देवेन्द्र सिंह कादियान
गन्नौर-28 | आय-45
योग्यता-बारहवीं

श्री पवन खरखौदा
खरखौदा (अ.जा.) -30 | आयु-45
योग्यता-बी.ए.

श्री निखिल मदान
सोनीपत-31 | आयु-35
योग्यता-बारहवीं

डॉ.अरविन्द कुमार शर्मा
गोहाना-32 | आयु-63
योग्यता-एम.डी.एस.

श्रीमती विनेश
जुलाना-34 | आयु-31
योग्यता-बी.ए.

श्री सतपाल जांबा
पुण्डरी-18 | आयु-45
योग्यता-एम.ए.

श्री जगमोहन आनंद
करनाल-21 | आयु-56
योग्यता-बारहवीं

श्री योगिन्दर सिंह राणा
असन्ध-23 | आयु-62
योग्यता-ग्रेजुएट

श्री गोकुल सेतिया
सिरसा-45 | आयु-37
योग्यता-बी.ए.

श्री चन्द्र प्रकाश
आदमपुर-47 | आयु-68
योग्यता-बी.ए., एल.एल.बी.

श्री जस्सी पेटवाड़
नारनौंद-49 | आयु-35
योग्यता-बी.ए.

श्री रणधीर पनिहार
नलवा-53 | आयु-68
योग्यता-मैट्रिक

श्री देवेन्द्र चतर भुज अत्री
उचाना कलां-37 | आयु-46
योग्यता-बी.ए

चौ. अदित्य देवीलाल
डबवाली-43 | आयु-50
योग्यता-बी.ए.

चौ. अर्जुन सिंह चौटाला
रानियां-44 | आयु-33
योग्यता-बारहवीं

श्री राजेश जून
बहादुरगढ़-64 | आयु-59
योग्यता-बी.ए.

कुमारी आरती सिंह राव
अटेली-68 | आयु-46
योग्यता-बी.ए.

श्री कंवर सिंह
महेन्द्रगढ़-69 | आयु-65
योग्यता-एम.ए.

श्रीमती मंजू चौधरी
नांगल चौधरी-71 | आयु-54
योग्यता-मैट्रिक

श्री राजबीर फरटिया
लोहारू-54 | आयु-56
योग्यता-मैट्रिक

श्री उमेद सिंह
बाढ़डा-55 | आयु-53
योग्यता-ग्रेजुएट

श्री सुनील सतपाल सांगवान
दादरी-56 | आयु-50
योग्यता-बी.ए.

श्रीमती श्रुति चौधरी
तोशाम-58 | आयु-50
योग्यता-एल.एल.बी.

श्री कपूर सिंह
बवानी खेड़ा (अ.जा.)-59
आयु-46 | योग्यता-मैट्रिक

श्री बलराम दांगी
महम-60 | आयु-48
योग्यता-बी.ए.

डॉ. कृष्ण कुमार
बावल (अ.जा.)-72 | आयु-56
योग्यता-एम.बी.बी.एस., एम.एस. (ईएनटी)

श्री अनिल यादव
कोसली-73 | आयु-49
योग्यता-बी.ए.

श्री मुकेश शर्मा
गुरुग्राम-77 | आयु-46
योग्यता-मैट्रिक

मो. इसराईल
हथीन-82 | आयु-60
योग्यता-सिविल इंजीनियरिंग

श्री हरिंदर सिंह
होडल (अ.जा.)-83 | आयु-56
योग्यता-ग्रेजुएट

श्री गौरव गौतम
पलवल-84 | आयु-38
योग्यता-बी.ए., पी.जी.डी.एम.सी.

श्री सतीश कुमार फागना
फरीदाबाद (एन.आई.टी)-86 | आयु-51
योग्यता-डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग

श्री धनेश अदलखा
बड़खल-87 | आयु-50
योग्यता-एम.ए., बी.फार्मा

संयोग

श्री हरविन्द्र कल्याण, माननीय अध्यक्ष , इर्जीनियर एवं
डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा, माननीय उपाध्यक्ष , डॉक्टर

हरियाणा विधान सभा मे '3' का महत्व

- **अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों तीन बार के विधायक**
- **सदन में तीन विधायक जिनके परिजन हरियाणा विधान सभा में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष रहे हैं।**
  - चौधरी मुल्तान सिंह के पोते वर्तमान के अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण
  - राव वीरेंद्र सिंह की पोती आरती सिंह राव वर्तमान मे मंत्री
  - सरदार हरमोहिंदर सिंह चट्ठा के बेटे श्री मनदीप चट्ठा वर्तमान में विधायक

हरियाणा विधान सभा मे '4' का महत्व

- **डा॰ रघुबीर कादियान ने हरियाणा विधानसभा में लगातार चौथी बार स्पीकर प्रोटेम के तौर पर नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाई**
- **सदन में चार विधायक पूर्व अध्यक्ष/उपाध्यक्ष**
  - डॉ. रघुवीर सिंह कादियान
  - श्री अशोक कुमार अरोड़ा
  - चौ. अकरम खान
  - श्री रणबीर गंगवा

15वीं हरियाणा विधान सभा — सदस्यों की शैक्षणिक प्रोफ़ाइल

शिक्षा का स्तर (Level of Education)	सदस्य संख्या	प्रतिशत (%)
Graduate & Above (34 Graduate + 9 Post Graduate + 20 Specialized Degree)	63	70.00
Diploma	3	3.33
Prabhakar	1	1.11
Higher Secondary (12th)	8	8.89
Matric (10th)	13	14.44
Under Matric	1	1.11
Literate at Home	1	1.11
कुल	90	100.00

मुख्य बिंदु

विधान सभा में कुल 90 सदस्य हैं, जिनमें अधिकांश सदस्य उच्च शिक्षित एवं पेशेवर पृष्ठभूमि से हैं

- 63 सदस्य (70%) स्नातक या उससे अधिक योग्यता रखते हैं, इनमें 34 स्नातक (Graduate), 9 स्नातकोत्तर (Post Graduate) तथा 20 विशेष डिग्रीधारी (Specialized Degree) शामिल हैं।

विशेष डिग्रीधारियों में विभिन्न पेशेवर क्षेत्रों से सदस्य हैं

- चिकित्सा क्षेत्र (Medical Professionals) : 3 सदस्य, जिनके पास MBBS, MS, BDS, BAMS जैसी चिकित्सा डिग्रियाँ हैं।
- कानून (Law): 13 सदस्य, जिन्होंने LLB या LLM की डिग्री प्राप्त की है।
- इंजीनियरिंग (Engineering): 2 सदस्य, जिनके पास B.E. Civil या B.Tech. जैसी तकनीकी डिग्रियाँ हैं।
- शिक्षा एवं शोध (Education/Ph.D.): 2 सदस्य, जिनमें 1 सदस्य Ph.D. धारक तथा 1 सदस्य शिक्षण (B.Ed.) योग्यता वाले हैं।
- प्रशासनिक सेवा (Civil Service Background): 1 सदस्य पूर्व IAS अधिकारी रहे हैं।

दलवार स्थिति (25 अक्टूबर, 2024 से 1 दिसंबर, 2025 तक)

श्रेणी	संख्या
माननीय अध्यक्ष	01
भारतीय जनता पार्टी	47
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	37
इंडियन नेशनल लोक दल	02
निर्दलीय	03
कुल	90

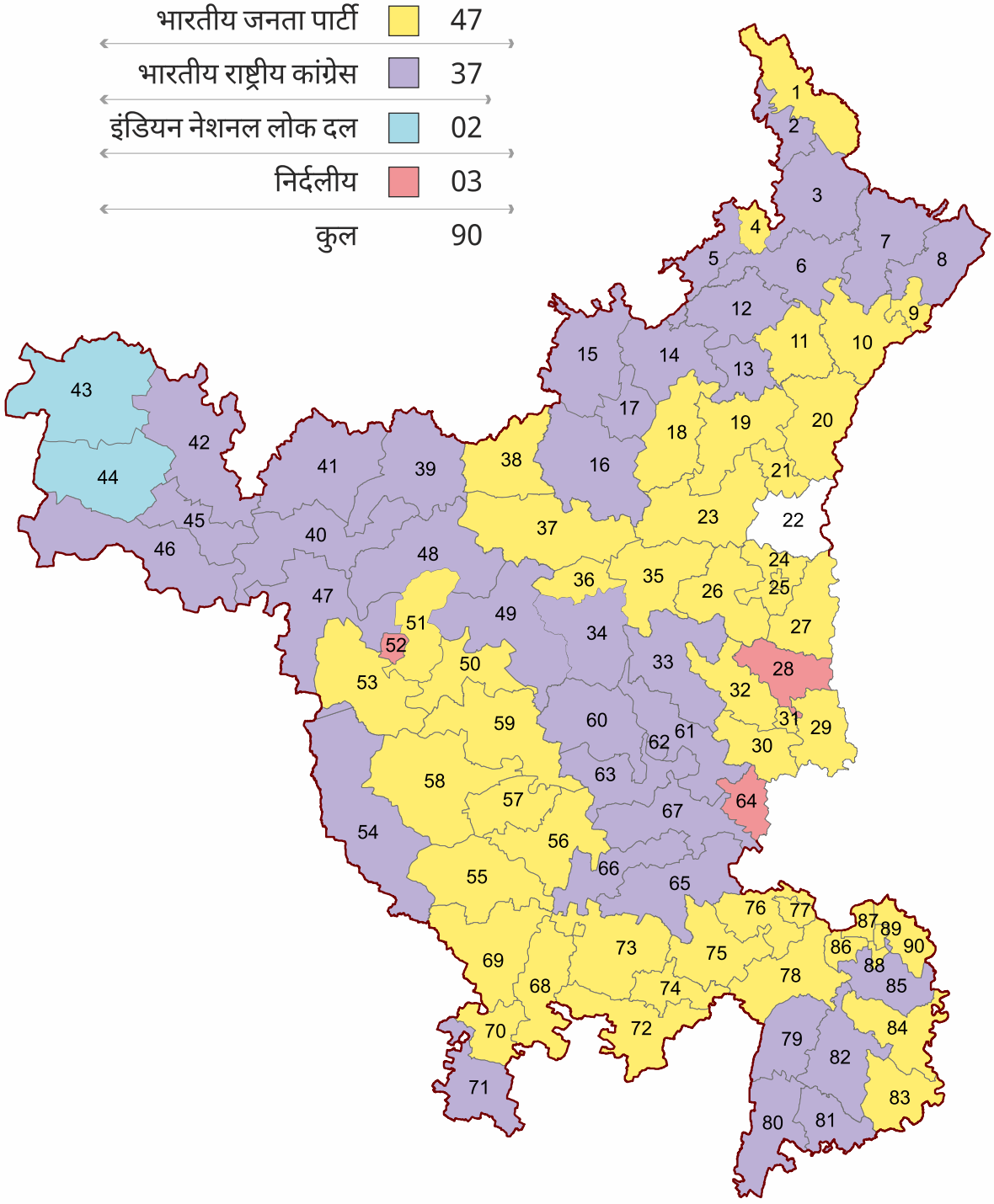

40 वर्ष से कम आयु के सदस्य

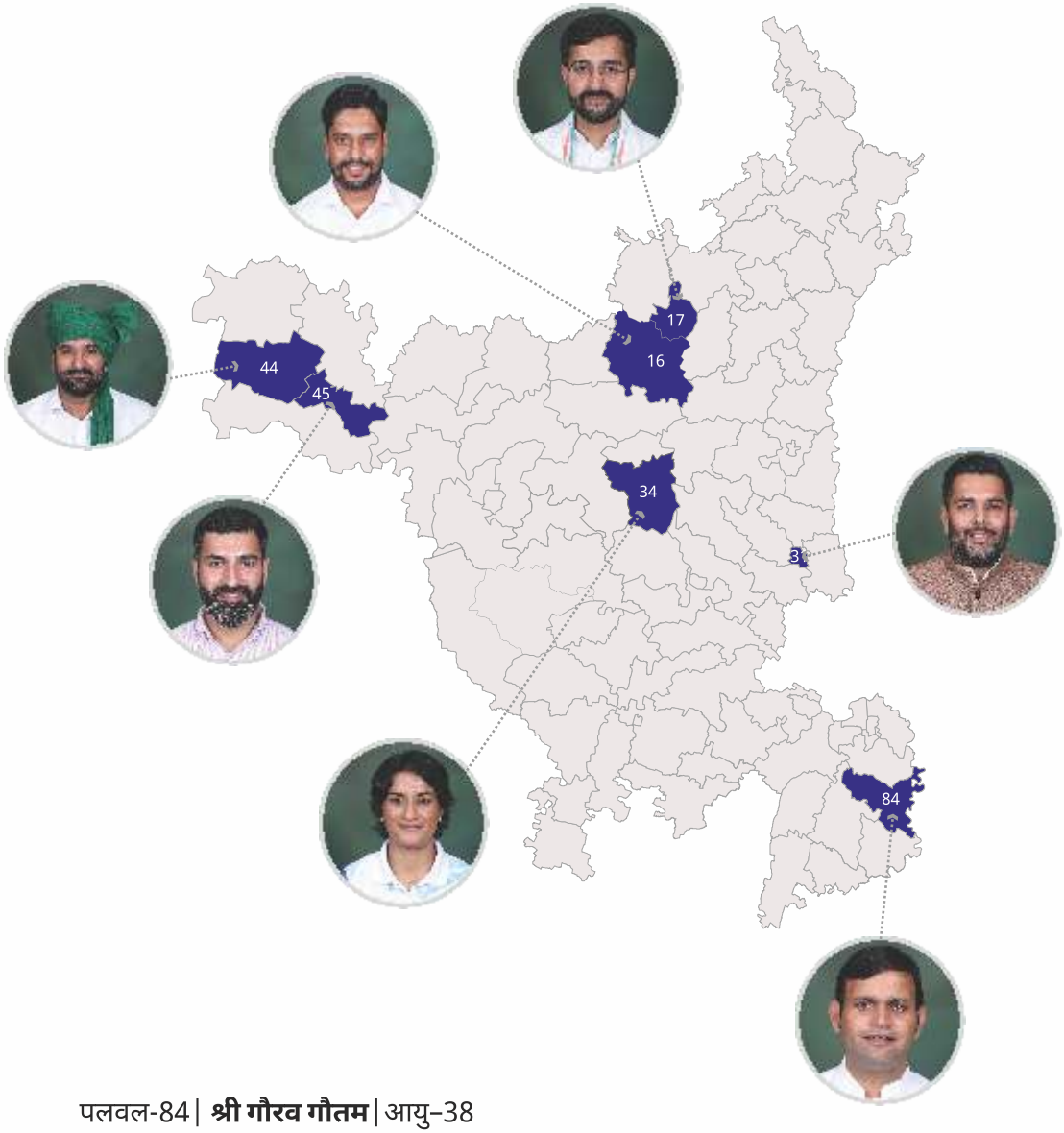

पलवल-84 | **श्री गौरव गौतम** | आयु–38

रानियां-44 | **चौ. अर्जुन चौटाला** | आयु–33

सिरसा-45 | **श्री गोकुल सेतिया** | आयु–37

सोनीपत-31 | **श्री निखिल मदान** | आयु–35

जुलाना-34 | **श्रीमती विनेश** | आयु–31

कलायत-16 | **श्री विकास सहारण** | आयु–36

कैथल-17 | **श्री आदित्य सुरजेवाला** | आयु–27

विधान सभा में महिला सहभागिता

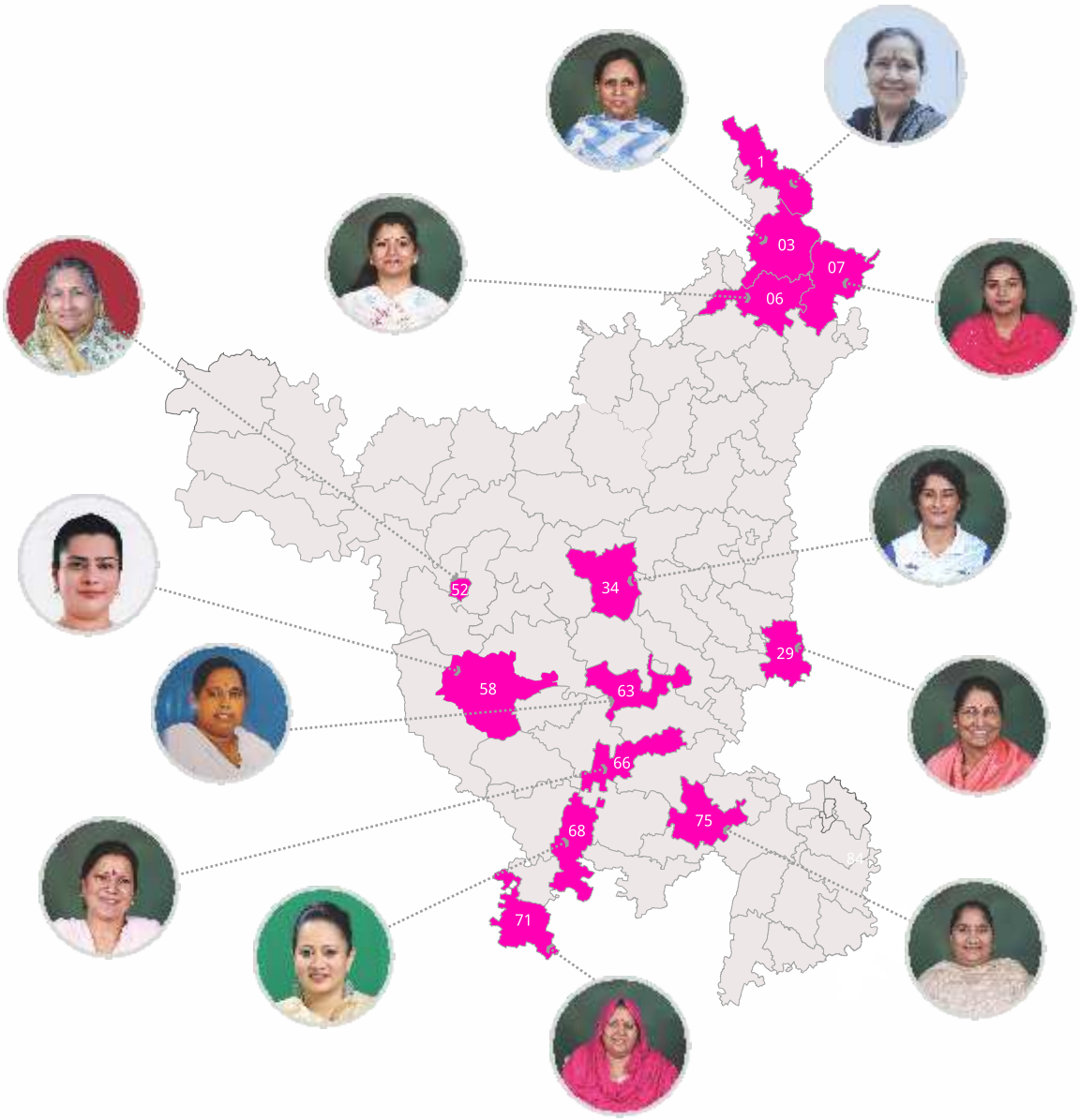

इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी

श्रीमती गीता भुक्कल | झज्जर-66

श्रीमती मंजू चौधरी | नांगल-चौधरी-71

श्रीमती पूजा | मुलाना-06

श्रीमती रेणू बाला | साढ़ौरा-07

श्रीमती शकुंतला खटक | कलानौर-63

श्रीमती शैली चौधरी | नारायणगढ़-03

श्रीमती विनेश | जुलाना-34

भारतीय जनता पार्टी

कुमारी आरती सिंह राव | अटेली-68

श्रीमती बिमला चौधरी | पटौदी-75

श्रीमती कृष्णा गहलावत | राई-29

श्रीमती शक्ति रानी शर्मा | कालका-1

श्रीमती श्रुति चौधरी | तोशाम-58

निर्दलीय

श्रीमती सावित्री जिंदल | हिसार-52

हरियाणा विधान सभा

सत्र समीक्षा

> *लोकतांत्रिक प्रणाली में विधायिका का महत्व सबसे अधिक है।*
>
> **श्री ओम बिरला, अध्यक्ष, लोक सभा**

25 अक्तूबर, 2024 को हरियाणा की 15वीं विधान सभा का शुभारंभ हुआ। इस दिन 89 सदस्यों ने शपथ ली तथा विधान सभा के अध्यक्ष के तौर पर श्री हरविन्द्र कल्याण और उपाध्यक्ष के तौर पर डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा का सर्वसम्मति से चयन हुआ। एक वर्ष की इस अवधि में श्री हरविन्द्र कल्याण की अध्यक्षता में इस सभा के 3 सफल सत्रों का आयोजन हो चुका है। विधान सभा के गरिमामयी सदन में इस दौरान कुल 22 बैठकें हुईं, जिनमें कुल 105 घंटे 45 मिनट कार्यवाही चली।

प्रथम सत्र: अक्तूबर-नवंबर, 2024

क्रमांक	घटक	विवरण
1.	सत्र अवधि	25 अक्तूबर – 19 नवंबर, 2024 (26 अक्टूबर-12 नवंबर, 2024 तक अवकाश रहा)
2.	सत्र की कुल बैठकें	5
3.	सत्र में कुल कार्य समय	26 घंटे 19 मिनट
4.	राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा	11 घंटे 50 मिनट (दो दिन, 13 व 14 नवंबर)
	चर्चा में भाग लेने वाले सदस्य	69 (34 नवनिर्वाचित)
5.	मुख्यमंत्री का राज्यपाल के अभिभाषण पर उत्तर	2 घंटे 27 मिनट
6.	विधेयकों पर संशोधन के नोटिस	
	पारित विधेयक	13
7.	कार्य उत्पादकता	90.74%
8.	सरकारी प्रस्ताव	3
9.	विधेयकों पर चर्चा का समय	4 घंटे 6 मिनट
10.	ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार	7 (4 नवनिर्वाचितों के)
11.	अध्यक्षीय रूलिंग / टिप्पणियां	3
12.	विशेष निर्णय	राज्य गीत हेतु समिति गठन (5 सदस्य)
13.	विशेष पहल	नवनिर्वाचित विधायकों का उत्साहवर्धन व प्रशिक्षण आयोजन

15वीं हरियाणा विधान सभा का पहला सत्र 25 अक्तूबर को शुरू होकर 19 नवंबर, 2024 तक चला। सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण तथा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के चुनाव के बाद अवकाश हुआ। कुल 5 बैठकों में 26 घंटे 19 मिनट कार्यवाही चली। इस सत्र में नए विधायकों की भागीदारी सराहनीय रही।

अवकाश के बाद 13 नवंबर, 2024 को सत्र की बैठक महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के साथ शुरू हुई। इस अभिभाषण पर दिनांक 13 और 14 नवंबर को 11 घंटे 50 मिनट चर्चा हुई, जिसमें कुल 69 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस चर्चा में भाग लेने वालों में 34 विधायक ऐसे थे जो पहली बार चुनकर आए। वे कुल 3 घंटे 50 मिनट राज्यपाल के अभिभाषण पर बोले। इस चर्चा का मुख्यमंत्री ने 2 घंटे 27 मिनट में जवाब दिया। इसके अलावा चर्चा में भाग लेने वालों में भाजपा के 32 सदस्य, कांग्रेस के 31 सदस्य, इनेलो के 2 सदस्य तथा 3 निर्दलीय सदस्य शामिल रहे।

सत्र में कुल 13 विधेयक पारित किए गए। इन विधेयकों पर 4 घंटे 6 मिनट चर्चा हुई। विशेष बात यह रही कि बड़ी संख्या में विधायकों ने इन पर चर्चा में भाग लिया। बिलों में संशोधन के लिए भी पहली बार चुनकर आए सदस्यों की ओर से 4 सूचनाएं प्राप्त हुईं तथा उन पर चर्चा हुई। सत्र में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए स्वीकार की गई 7 सूचनाओं में से 4 नवनिर्वाचित सदस्यों की रही। इस 5 दिवसीय सत्र के दौरान विधान सभा के माननीय अध्यक्ष की ओर से 3 रूलिंग और टिप्पणियां/ऑब्जर्वेशन्स दी गई हैं। सत्र के अंतिम दिन लक्ष्मण सिंह यादव की अध्यक्षता में राज्य गीत के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई।

विधान सभा अध्यक्ष ने बढ़ाया नए विधायकों का उत्साह, कहा-

जनता ने सौंपा महान दायित्व

हरियाणा की 15वीं विधान सभा के प्रथम सत्र की शुरुआत में 13 नवंबर, 2024 को विधान सभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण पहली बार चुन कर आए सदस्यों की लग्न देख कर गदगद नजर आए। इस दौरान उन्होंने नवनिर्वाचित सदस्यों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें विधायी कामकाज की बारीकियां भी बताई। विधान सभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण ने सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि पहली बार चुने गए विधायकों का उत्साह सराहनीय है। इस लग्न और निष्ठा को ऐसे ही बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने उन्हें बहुत ही महान दायित्व सौंपा है। जनता की कसौटियों पर खरा उतरना उनका पहला दायित्व है। उन्होंने सदन के समय का महत्व बताते हुए कहा कि प्रत्येक सदस्य को निर्धारित समय सीमा में अपनी बात कहने का अभ्यास करना चाहिए। सदन का एक-एक क्षण जनसेवा को समर्पित होना चाहिए। सभी को मौका दिया जाएगा, कोई भी बिना बोले न जाए।

ड्यूटी पर आने वाले हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए भोजन की समुचित व्यवस्था

विधान सभा सत्र के लिए ड्यूटी पर आने वाले हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों के करीब 500 कर्मचारियों के लिए विधान सभा अध्यक्ष के आदेश पर पहली बार विधान सभा की तरफ से भोजन की व्यवस्था की गई।

विधायी व अन्य कार्य

प्रथम सत्र

विधेयक **दिनांक: 18-19 नवंबर 2024**

1. हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2024
2. हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024
3. हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024
4. हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2024
5. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2024
6. हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबन्धक) संशोधन विधेयक, 2024
7. हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक, 2024
8. हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2024
9. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2024
10. हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024
11. हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक, 2024
12. हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता विधेयक, 2024
13. हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक, 2024

सरकारी प्रस्ताव दिनांक: 14 नवंबर, 2024 और 18 नवंबर, 2024

1. प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व के अवसर पर बधाई देने के संबंध में
2. हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2023 को वापस लेने बारे।
3. हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक, 2024 को वापस लेने बारे।

ध्यानाकर्षण नोटिस

क्रमांक	कुल प्राप्त सूचनाऐं	अस्वीकृत हुए	स्वीकृत हुए	सदन में चर्चा	सत्रावसान पर समाप्त
1.	20	1	7	7	12

तारांकित प्रश्न

क्रमांक	कुल सदस्य	नोटिस आये	नोटिस स्वीकार हुए	नोटिस के सदन में जवाब
-	-	-	-	-

अतारांकित प्रश्न

क्रमांक	कुल सदस्य	नोटिस आये	नोटिस स्वीकार हुए	नोटिस के सदन में जवाब
-	-	-	-	-

द्वितीय सत्र: मार्च, 2025 (बजट सत्र)

क्रमांक	घटक	विवरण
1.	सत्र अवधि	7 मार्च – 28 मार्च, 2025
2.	सत्र की कुल बैठकें	13
3.	सत्र में बजट समितियों की बैठकें	8 समितियों ने 3 दिन की 15 बैठकों में 8 रिपोर्टें दी
4.	सत्र में कुल कार्य समय	58 घंटे 18 मिनट
5.	राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा	11 घंटे 33 मिनट (46 सदस्य सहभागी)
6.	मुख्यमंत्री का राज्यपाल के अभिभाषण पर उत्तर	2 घंटे 56 मिनट
7.	बजट चर्चा	11 घंटे 57 मिनट (वित्त मंत्री: 3 घंटे 31 मिनट)
8.	विधेयकों पर संशोधन के नोटिस	_____
	पारित विधेयक	18
9.	विधेयकों पर चर्चा का समय	2 घंटे 7 मिनट
10.	तारांकित प्रश्न प्राप्त	86.5% (200 में से 173 के उत्तर)
11.	शून्यकाल	6 बैठकें (5 घंटे 58 मिनट, 86 सदस्य सहभागी)
12.	कार्य उत्पादकता	114.51%
13.	गैर सरकारी प्रस्ताव	1
14.	सरकारी प्रस्ताव	1
15.	ध्यानाकर्षण सूचनाएं	54 प्राप्त, 19 स्वीकृत
16.	अध्यक्षीय रूलिंग / टिप्पणियां	9
17.	विशेष	राज्य गीत का अनुमोदन व गायन नियमों के लिए समिति का गठन

15वीं हरियाणा विधान सभा का द्वितीय सत्र (बजट सत्र) 28 मार्च को कार्य उत्पादकता और अनुशासन की अमिट छाप छोड़ते हुए संपन्न हुआ। इस सत्र के दौरान 58 घंटे 18 मिनट कार्यवाही चली। 7 मार्च से शुरू हुए इस सत्र के दौरान 12 दिनों में 13 बैठकें हुईं। कुल 18 विधेयक पारित किए गए।

बजट सत्र के दौरान रिकॉर्ड 86.50 फीसदी तारांकित प्रश्नों पर सदन में चर्चा हुई। 10 प्रश्नकाल में 200 प्रश्न शामिल किए गए थे, इनमें से 173 के जवाब हाउस में दिए गए। काफी समय के बाद से यह सबसे अच्छा रिकॉर्ड है। विधान सभा सचिवालय को 61 सदस्यों से 405 प्रश्न मिले थे, 316 एडमिट हुए। इनमें भाजपा के 26, कांग्रेस के 31, इनेलो के 2 तथा 2 निर्दलीय विधायकों ने प्रश्नों के नोटिस भेजे।

इस दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर 5 बैठकों में 11 घंटे 33 मिनट लंबी चर्चा हुई। इसमें 46 सदस्यों ने भाग लिया। 2 घंटे 56 मिनट मुख्यमंत्री नायब सिंह ने जवाब दिया। मुख्यमंत्री समेत भाजपा के 24 सदस्य 7 घंटे 2 मिनट बोले, कांग्रेस के 20 सदस्य 4 घंटे 9 मिनट, इनेलो के 2 सदस्यों ने 22 मिनट तक अपनी बात रखी।

बजट पर 11 घंटे 57 मिनट चर्चा हुई। इसमें से 3 घंटे 31 मिनट वित्त मंत्री का जवाब, भाजपा के 22 सदस्य 426 मिनट बोले, कांग्रेस के 21 सदस्य 257 मिनट तक बोले, इनेलो के 2 सदस्य 19 मिनट और निर्दलीय 2 सदस्य 15 मिनट तक बोले।

इस सत्र के दौरान कुल 6 बैठकों में शून्यकाल रहा। इसकी कार्यवाही 5 घंटे 58 मिनट तक चली। इसमें 86 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें भाजपा के 29 सदस्य को 160 मिनट मिले, कांग्रेस के 33 सदस्यों को 175 मिनट, इनेलो के 2 सदस्यों को 12 मिनट तथा निर्दलीय 2 सदस्यों को 11 मिनट का समय मिला।

इस दौरान विधान सभा सचिवालय को 54 ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 19 स्वीकृत की गई। एक सरकारी तथा एक गैर सरकारी प्रस्ताव पर भी विधान सभा में चर्चा हुई। अल्प अवधि चर्चा के लिए 3 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। तीनों ही स्वीकृत किए गए। इस सत्र में दर्शक दीर्घाओं में 2212 दर्शकों ने सदन की कार्यवाही देखी।

हरियाणा को मिला राज्य गीत

इस दौरान हरियाणा को प्रथम बार अपना राज्य गीत भी मिला, जिसे सदन में सुनाया गया। सभी दलों की तरफ से सकारात्मक चर्चा के बाद इसे सदन ने स्वीकृत किया। अब हरियाणा सरकार की ओर से राज्य गीत के गायन के तौर तरीके तय करने के लिए समिति का गठन किया गया है।

मा. विधायकों से आग्रह है कि सदन की गरिमा को बनाए रखें। कई बार कुछ ऐसी टिप्पणियां हो जाती हैं, जिनसे सदन की गरिमा को ठेस पहुंचती है। अमर्यादित शब्द नहीं बोले जाने चाहिए। हम जनप्रतिनिधि हैं, असली मालिक जनता है। हमारा हर शब्द इतिहास में दर्ज रहेगा। इसलिए सदन नियम व प्रथाओं के अनुसार ही चलना चाहिए।

- हरविन्द्र कल्याण, अध्यक्ष

विधायी व अन्य कार्य

(द्वितीय सत्र- बजट सत्र मार्च, 2025)

विधेयक दिनांक : 18, 20, 26, 28 मार्च, 2025

1. हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025
2. पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2025
3. हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2025
4. हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक, 2025
5. हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2025
6. हरियाणा भू राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2025
7. बीज (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2025
8. कीटनाशी (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2025
9. हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक, 2025
10. हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2025
11. हरियाणा सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक, 2025
12. हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन विधेयक, 2025
13. हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2025
14. हरियाणा बंदी (आदान-प्रदान) निरसन विधेयक, 2025
15. हरियाणा बागवानी पौधशाला विधेयक, 2025
16. अपर्णा संस्था (प्रबंधन तथा नियंत्रण ग्रहण) विधेयक, 2025
17. हरियाणा विधान सभा (सदस्य-चिकित्सा सुविधा) संशोधन विधेयक, 2025
18. हरियाणा विधान सभा (सदस्य-सुविधा) संशोधन विधेयक, 2025

सरकारी प्रस्ताव दिनांक : 10.03.2025

1. हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2024 को वापस लेने के संबंध में।

गैर सरकारी संकल्प दिनांक : 27.03.025

1. राज्य में सड़क सुरक्षा व बढ़ती दुर्घटनाओं के संबंध में।

ध्यानाकर्षण नोटिस

क्रमांक	कुल प्राप्त सूचनाऐं	अस्वीकृत हुए	स्वीकृत हुए	सदन में चर्चा	सत्रावसान पर समाप्त	अन्य सूचना में परिवर्तित
1.	54	---	19	19	34	1

तारांकित प्रश्न

क्रमांक	कुल सदस्य	नोटिस आये	नोटिस स्वीकार हुए	नोटिस के सदन में जवाब
1.	61	405	316	200

अतारांकित प्रश्न

क्रमांक	कुल सदस्य	नोटिस आये	नोटिस स्वीकार हुए	नोटिस के सदन में जवाब
1.	31	184	144	144

विधानसभा सत्र के प्रश्नों की ड्रा प्रक्रिया

तृतीय सत्र: अगस्त, 2025

क्रमांक	घटक	विवरण
1.	सत्र अवधि	22 अगस्त – 27 अगस्त, 2025
2.	सत्र की कुल बैठकें	4
3.	सत्र में बजट समितियों की बैठकें	_____
4.	सत्र में कुल कार्य समय	21 घंटे 8 मिनट
5.	कार्य उत्पादकता	120.37%
6.	सरकारी प्रस्ताव	2
8.	विधेयकों पर संशोधन के नोटिस	7 (जिसमें सदस्य वेतन, पिछड़ा वर्ग आयोग व जीएसटी संशोधन शामिल)
9.	पारित विधेयक	7
10.	विधेयकों पर चर्चा का समय	42 मिनट
11.	तारांकित प्रश्न प्राप्त	307 (53 विधायकों से)
12.	गैर सरकारी प्रस्ताव	1
13.	तारांकित प्रश्न चर्चा	56
14.	शून्यकाल	78 सदस्य बोले
15.	ध्यानाकर्षण सूचनाएं	11
16.	ध्यानाकर्षण विषय	जलभराव, CET परीक्षा, कृषि समस्याएं आदि
17.	अध्यक्षीय रूलिंग / टिप्पणियां	1
18.	विशेष	_____

अगस्त, 2025 में संपन्न हुआ हरियाणा विधान सभा का मानसून सत्र, संसदीय कार्यवाही के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बनकर उभरा। यह सत्र केवल एक विधायी बैठक नहीं, बल्कि गंभीरता, अनुशासन और उच्च उत्पादकता का एक प्रतीक बन गया। चार दिनों में कुल 21 घंटे और 8 मिनट तक चली कार्यवाही ने 120.37 फीसदी की असाधारण कार्य उत्पादकता दर्ज की, जो विधायिका के प्रति सदस्यों की जागरूकता तथा प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

इस सत्र ने संसदीय परंपराओं में कई नई दिशाएं स्थापित की। विधायकों ने गंभीरता और अनुशासन के साथ बहस में हिस्सा लिया, जिससे सदन की गरिमा को नई ऊंचाई मिली।

विधायी कार्य और बहस की गुणवत्ता: सत्र के दौरान, कुल 7 महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए, जिनमें सदस्य वेतन-भत्ता संशोधन, पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन, और जीएसटी संशोधन जैसे कानून शामिल हैं। इसके अलावा, दो सरकारी प्रस्ताव भी पारित हुए। ये विधायी कार्य न केवल राज्य के विकास के लिए आवश्यक थे, बल्कि उन्होंने सदन की रचनात्मक भूमिका को भी उजागर किया। प्रश्नकाल और शून्यकाल में विधायकों की सक्रिय भागीदारी भी उल्लेखनीय रही। कुल 53 विधायकों से 307 तारांकित प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें से 56 पर गहन चर्चा हुई। शून्यकाल में 78 सदस्यों ने अपनी बात रखी, जिसमें कांग्रेस, भाजपा और अन्य दलों के सदस्यों ने समान उत्साह से हिस्सा लिया। ध्यानाकर्षण सूचनाओं के तहत, जलभराव, सीईटी परीक्षा की

कार्यप्रणाली और किसानों की समस्याओं जैसे ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई। इन सभी गतिविधियों ने इस बात को प्रमाणित किया कि यह सत्र केवल कागजी कार्यवाही तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने जनहित के मुद्दों को केंद्र में रखा।

नवाचार और भविष्य की दिशा: इस सत्र में कई विशेष पहलें भी देखने को मिलीं, जो इसे और भी यादगार बनाती हैं। पहली बार सत्र के समापन पर राज्यगीत का वादन हुआ, जिसने एक नई परंपरा की नींव रखी। इसके अलावा, टीवी चैनलों पर सीधी कार्यवाही के प्रसारण के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए, जिससे पारदर्शिता बढ़ी। नशा मुक्ति का संदेश देने के लिए आयोजित 'साइक्लोथॉन' भी एक अभिनव प्रयास था, जिसने जनता को सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक किया।

> *यह मानसून सत्र संसदीय इतिहास में एक नया मानक स्थापित करता है। यह दिखाता है कि जब जनप्रतिनिधि अनुशासन, सहयोग और जनहित की भावना से काम करते हैं, तो विधान सभाएं न केवल विधायी कार्य करती हैं, बल्कि संसदीय लोकतंत्र की आत्मा को भी जीवंत रखती हैं।*
>
> **- हरविन्द्र कल्याण, अध्यक्ष**

विधायी व अन्य कार्य

तृतीय सत्र

विधेयक **दिनांक : 25, 26, 27 अगस्त, 2025**

1. हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025
2. हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2025
3. हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों से बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) संशोधन विधेयक, 2025
4. हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2025
5. हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025
6. हरियाणा नगर पालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नगर पालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2025
7. हरियाणा विधान सभा (सदस्य-सुविधा) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2025

सरकारी प्रस्ताव **दिनांक : 25.08.2025**

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता (हरियाणा संशोधन), विधेयक, 2022 (एचएलए-2022 का विधेयक संख्या 19) को वापस लेने के सम्बन्ध में।
2. श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर।

गैर सरकारी संकल्प दिनांक : 27.08.2025

1. सोशल मीडिया में 'अपराधियों' एवं 'गैंगस्टरों' को महिमा मंडित करने के संबंध में।

ध्यानाकर्षण नोटिस

(तृतीय सत्र- अगस्त, 2025)

क्रमांक	कुल प्राप्त सूचनाऐं	अस्वीकृत हुए	स्वीकृत हुए	सदन में चर्चा	सत्रावसान पर समाप्त
1.	40	16	11	11	13

तारांकित प्रश्न

क्रमांक	कुल सदस्य	नोटिस आये	नोटिस स्वीकार हुए	नोटिस के सदन में जवाब
1.	53	307	194	80

अतारांकित प्रश्न

क्रमांक	कुल सदस्य	नोटिस आये	नोटिस स्वीकार हुए	नोटिस के सदन में जवाब
1.	26	160	132	128

सीएम व स्पीकर दोनों स्माइलिंग फेस...

नेता प्रतिपक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सत्र के दौरान की गई टिप्पणी कि इस बार विधानसभा में सीएम व स्पीकर दोनों ही स्माइलिंग फेस हैं जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं।

15वीं विधान सभा के प्रथम वर्ष के (25 अक्टूबर, 2024 से 25 अक्टूबर, 2025) सत्रों का कार्य विवरण

विषय	प्रथम सत्र	दिवतीय सत्र	तृतीय सत्र	सत्रों का कुल विवरण
सत्रावधि	25 अक्तूबर से 19 नवंबर, 2024	7 मार्च से 28 मार्च, 2025	22 अगस्त से 27 अगस्त, 2025	तीन सत्र
समय अवधि	26 घंटे, 19 मिनट	58 घंटे, 18 मिनट	21 घंटे, 8 मिनट	101 घंटे, 45 मिनट
उत्पादकता	90.74%	114.51%	120.37%	—
बैठकें	5 Sittings (5 दिन)	13 Sittings (12 दिन)	4 Sittings (4 दिन)	22 Sittings (21 दिन)
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा समय/सदस्य	11 घंटे, 50 मिनट 69 सदस्य	11 घंटे, 33 मिनट 46 सदस्य	—	23 घंटे, 23 मिनट 115 सदस्य
राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री का जवाब	2 घंटे, 27 मिनट	2 घंटे, 56 मिनट	—	5 घंटे, 23 मिनट
तारांकित प्रश्न (पूछे/उत्तरित)	—	200 / 173	60 / 56 *	280 / 229
प्रश्नकर्ता सदस्य	—	61	26	87
अतारांकित प्रश्न	—	144	132	276
प्रश्न कर्ता सदस्य	31	26	—	57
शून्यकाल अवधि	—	5 घंटे, 58 मिनट	4 घंटे, 5 मिनट	10 घंटे, 3 मिनट
शून्यकाल सदस्य	—	66	69	135
बजट पर चर्चा	—	11 घंटे, 57 मिनट	—	11 घंटे, 57 मिनट
चर्चा में भाग लेने वाले सदस्य/ समय	—	46 सदस्य (8 घंटे, 26 मिनट)	—	46 सदस्य (8 घंटे, 26 मिनट)
वित्त मंत्री का बजट पर जबाव	—	3 घंटे, 31 मिनट	—	3 घंटे, 31 मिनट
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	7	19	11	37
सरकारी प्रस्ताव	3	1	2	6
गैर-सरकारी प्रस्ताव	—	1	1	2
स्थगन प्रस्ताव (स्वीकृत/ विचारित)	—	—	1 अस्वीकृत 1 स्वीकृत	1 पर चर्चा
अल्प अवधि चर्चा	—	3	—	3
विधेयक पारित	13	18	7	38
कार्यवाही देखने आये दर्शक	831	2212	1585	4628

* 20 Starred Question deemed to have been converted into Starred Question due to interruption in Question Hours

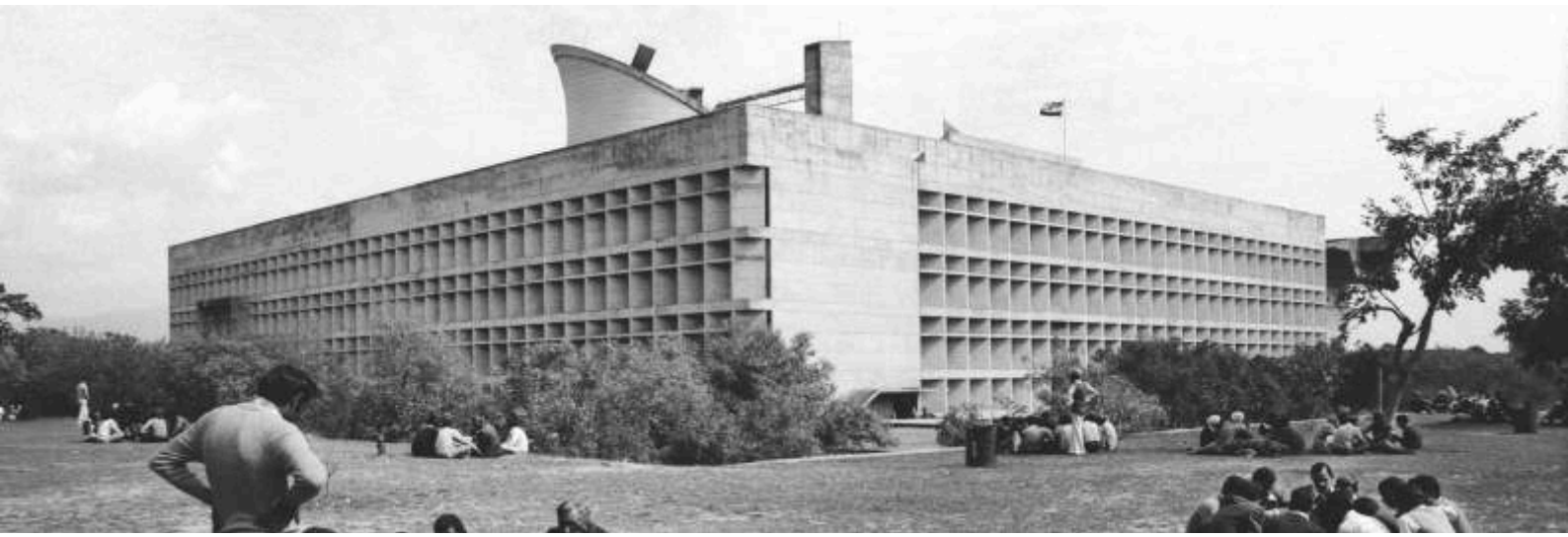

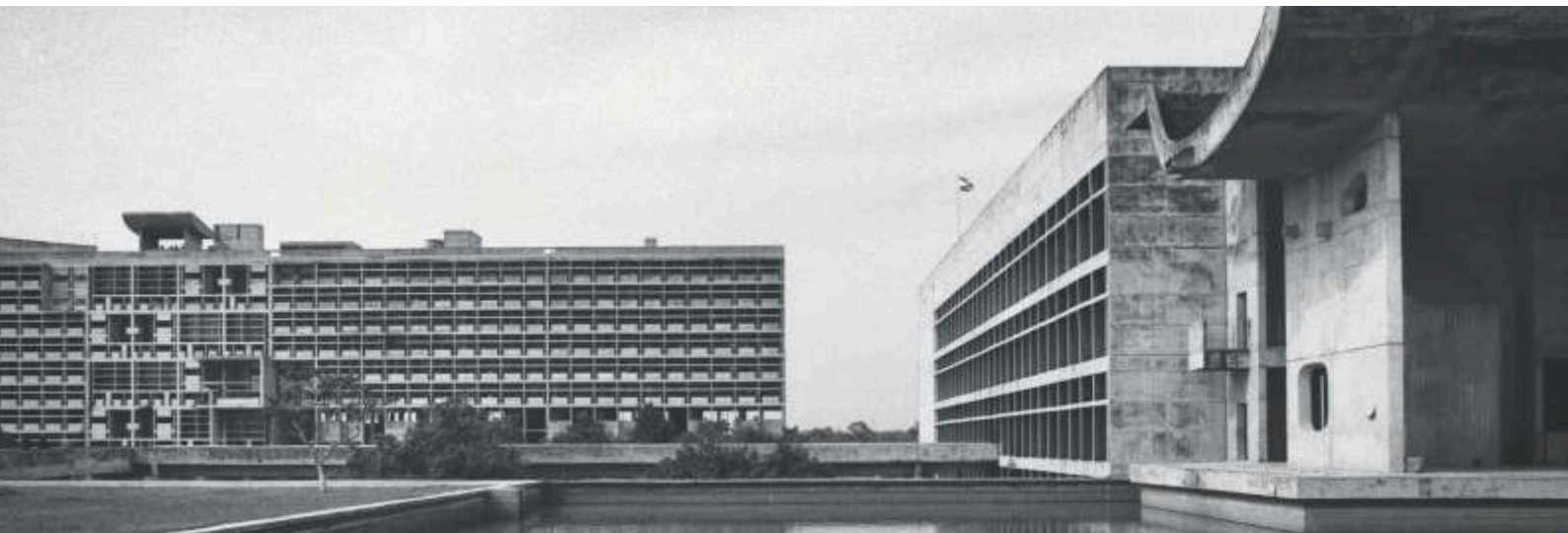

15वीं विधान सभा में रूलिंग/आब्ज़र्वेशन/अन्य मुद्दे

"जीवन में सबसे बड़ा धन ज्ञान है। इसे कोई आपसे छीन नहीं सकता।

- डॉ. भीमराव अंबेडकर

रूलिंग्स

दिनांक 25.10.2024 व 19.11.2024

1. माननीय सदस्य द्वारा 'प्रोटेम स्पीकर' शब्द के स्थान पर **'कार्यकारी अध्यक्ष'** शब्द का प्रयोग करने का मामला उठाना।
2. Acting Speaker' शब्द के स्थान पर 'Speaker Pro-tem' शब्द इस्तेमाल करने के सम्बन्ध में रूलिंग देना।

दिनांक 13.11.2024

भारतीय संविधान के आर्टिकल 208 के तहत बने नियम, प्रथाओं तथा रूलिंग्ज के अनुसार सदन में भाग लेना व चर्चा को प्रभावी बनाने सम्बन्धी रूलिंग।

ऑब्जर्वेशन

दिनांक 10.03.2025

शून्यकाल को और प्रभावी बनाये जाने के सम्बन्ध में दी गई ऑब्जर्वेशन।

दिनांक 27.03.2025

प्राकृतिक खेती के लाभों के संबंध में दी गई ऑब्जर्वेशन।

दिनांक 28.03.2025

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में बजट सत्र, 2025 में कुछ अमर्यादित टिप्पणियों के संबंध में ऑब्जर्वेशन देना।

दिनांक 25.08.2025

सदन में स्थगन प्रस्ताव के मुद्दे पर हुए व्यवधान से सम्बन्धित ऑब्जर्वेशन देना।

प्रस्ताव सूचना

दिनांक 19.03.2025 व 20.03.2025

1. विधान सभा की दो नई विषय समितियां बनाने के संबंध में सूचना ।
2. विधान सभा की दो नई विषय समितियां बनाने सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव (पर्यावरण तथा प्रदूषण पर विषय समिति, युवा कल्याण एवं युवा मामलों के लिए विषय समिति) ।

दिनांक 19.03.2025

1. अंतरिक्ष यात्री श्रीमती सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष से सकुशल पृथ्वी पर आने के संबंध में प्रस्ताव।

दिनांक 28.03.2025

1. हरियाणा विधान सभा द्वारा माननीय सदस्यों को उनके संसदीय कार्यों में सहायता पहुँचाने के लिए विभिन्न नये संसदीय सुधारात्मक कदम उठाये जाने के संबंध में सूचना देना।

2. बिहार विधान सभा में आयोजित 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में पारित संकल्पों के संबंध में सदन को सूचित करना।

3. अध्यक्ष महोदय द्वारा भविष्य में सदस्यों की सक्रियता व सफलता तथा विधान सभा की उत्पादकता बढ़ाने के संबंध में विभिन्न योजनाओं की जानकारी देना।

15वीं विधान सभा की विधान सभा समितियों का विवरण

"जिसे सीखने की भूख है, वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है"

- स्वामी विवेकानंद

वर्ष 2024–2025 की शेष अवधि के लिए समितियां

क्रमांक	समिति का नाम	सभापति/ अध्यक्ष	सदस्य	विशेष आमंत्रित
1	नियम समिति	श्री हरविन्द्र कल्याण (पदेन)	श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, श्रीमती गीता भुक्कल, डॉ. रघुवीर सिंह कादियान, श्री घनश्याम दास, डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा, श्री अर्जुन चौटाला	
2.	लोक लेखा समिति	श्री आफताब अहमद	श्री चंद्र मोहन, श्री ओम प्रकाश यादव, श्री विनोद भ्याना, डॉ. कृष्ण कुमार, श्री सुनील सतपाल सांगवान, श्री योगेंद्र सिंह राणा, श्रीमती पूजा, श्री अदित्य देवीलाल	
3.	प्राक्कलन समिति	श्री प्रमोद कुमार विज	श्रीमती सावित्री जिंदल, श्री चंद्र प्रकाश, श्री अर्जुन चौटाला, श्री आदित्य सुरजेवाला, श्री निखिल मदान, श्री मनमोहन भडाना, श्री कंवर सिंह, श्री राजबीर फर्टिया	
4.	लोक उपक्रमों सम्बन्धी समिति	श्री राम कुमार गौतम	श्री निर्मल सिंह, श्री परमवीर सिंह, श्री कुलदीप वत्स, श्री अनिल यादव, श्री पवन खरखौदा, श्री सतपाल जांबा, श्रीमती शक्ति रानी शर्मा, श्री विकास सहारण	
5.	अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति	श्री भगवान दास	सरदार जरनैल सिंह, श्रीमती बिमला चौधरी, श्री राम करन, श्रीमती रेणु बाला, श्री कपूर सिंह, डॉ. कृष्ण कुमार, श्री पवन खरखौदा	
6.	सरकारी आश्वासनों के बारे में समिति	श्री भारत भूषण बत्तरा	श्री मोहम्मद इलियास, श्री मूलचन्द शर्मा, श्री लक्ष्मण सिंह यादव, श्री तेजपाल तंवर, श्रीमती शैली चौधरी, श्री जगमोहन आनन्द, श्री उम्मेद सिंह, श्रीमती मंजू चौधरी	श्रीमती बिमला चौधरी, श्री इन्दुराज, श्रीमती विनेश

7.	अधीनस्थ विधान समिति	श्रीमती कृष्णा गहलावत	श्री अशोक कुमार अरोड़ा, श्री राम कुमार कश्यप, श्री नरेश सेलवाल, श्रीमती रेणु बाला, श्री निखिल मदान, श्री सतपाल जांबा, श्री आदित्य सुरजेवाला	श्री घनश्याम सर्राफ, श्री देवेंद्र कादियान, श्री रघुबीर तेवतिया
8.	आवास समिति	डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा (पदेन)	श्री घनश्याम दास, श्री भगवान दास, श्रीमती रेणु बाला, श्री चंद्र प्रकाश	
9.	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति	डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा	श्री घनश्याम सर्राफ, श्री देवेंद्र चतुर्भज अत्री, श्री जगमोहन आनन्द, श्री मुकेश शर्मा, श्री रणधीर पनिहार, श्री गोपाल सेतिया, श्री मोहम्मद इसराइल, श्री अदित्य देवीलाल	श्री भरत सिंह बेनीवाल,श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया, श्रीमती शकुंतला खटक
10.	याचिका समिति	श्री घनश्याम दास	श्रीमती गीता भुक्कल, श्रीमती शकुंतला खटक, श्री भगवान दास, श्री तेजपाल तंवर, श्री हरिन्द्र सिंह, श्री मनमोहन भड़ाना, श्री बलराम दांगी, श्री विकास सहारण	श्री जस्सी पेटवाड, श्री चंद्र प्रकाश
11.	जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) सम्बन्धी विषय समिति	श्री लक्ष्मण सिंह यादव	श्री भरत सिंह बेनीवाल, श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया, चौ. मामन खान, श्री शीशपाल केहरवाला, श्री कपूर सिंह, श्री सतीश कुमार फागना, श्री राजेश जून	श्री अशोक कुमार अरोड़ा, श्री घनश्याम दास, श्री मुकेश शर्मा
12.	शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं सम्बन्धी विषय समिति	श्री राम कुमार कश्यप	श्री इन्दुराज, श्री धनेश अदलखा, श्री हरिन्द्र सिंह, श्रीमती शक्ति रानी शर्मा, श्री देवेंद्र हंस, श्री जस्सी पेटवाड़, श्री मनदीप चट्ठा, श्री देवेंद्र कादियान	श्री ओम प्रकाश यादव, श्रीमती शैली चौधरी, श्री बलराम दांगी
13.	विशेषाधिकार समिति	श्री मूलचन्द शर्मा	श्रीमती गीता भुक्कल, श्री अक़रम खान, श्रीमती सावित्री जिन्दल, श्री तेजपाल तंवर, श्री प्रमोद कुमार विज, श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया, श्री रणधीर पनिहार, श्री योगेन्द्र राणा, श्री आदित्य देवीलाल	
14.	शिष्टाचार मानदंडों के उल्लंघन और हरियाणा विधान सभा के सदस्यों के साथ सरकारी अधिकारियों के अवमाननापूर्ण व्यवहार पर समिति।	श्री विनोद भ्याना	श्रीमती कृष्णा गहलावत, श्री रघुबीर तेवतिया, श्री अनिल यादव, डॉ. कृष्ण कुमार, श्री मनमोहन भड़ाना, श्री मनदीप चट्ठा, श्रीमती विनेश, श्री अर्जुन चौटाला, श्री राजेश जून	

समितियाँ: वर्ष 2025-26

श्री हरविन्द्र कल्याण, अध्यक्ष — **नियम समिति**

सदस्य
श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, डॉ. रघुवीर सिंह कादियान,
श्री घनश्याम दास, श्रीमती सावित्री जिंदल, श्रीमती कृष्णा गहलावत,
श्री देवेंद्र चतुर्भज अत्री, श्री अर्जुन चौटाला

चौ. आफताब अहमद, अध्यक्ष — **लोक लेखा समिति**

सदस्य
श्री ओम प्रकाश यादव, श्री विनोद भ्याना, श्री योगेंद्र राणा,
श्री कंवर सिंह, श्री मनमोहन भड़ाना, श्रीमती पूजा,
श्री अर्जुन चौटाला, श्री आदित्य सुरजेवाला

श्री प्रमोद कुमार विज, अध्यक्ष — **प्राक्कलन समिति**

सदस्य
श्रीमती सावित्री जिंदल, चौ. अकरम खान, श्री तेजपाल तंवर,
श्री चंद्र प्रकाश, श्री जगमोहन आनन्द, डॉ. कृष्ण कुमार,
श्री निखिल मदान, श्री राजबीर फरटिया

श्री रामकुमार गौतम, अध्यक्ष — **लोक उपक्रमों सम्बन्धी समिति**

सदस्य
श्री निर्मल सिंह, श्रीमती गीता भुक्कल, श्री मूलचंद शर्मा,
श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया, श्रीमती शक्ति रानी शर्मा,
श्री अनिल यादव, श्री सुनील सतपाल सांगवान, श्री देवेंद्र कादियान

श्री भगवान दास, अध्यक्ष — **अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति**

सदस्य
सरदार जरनैल सिंह, श्रीमती बिमला चौधरी,
श्री राम करन, श्री चंद्र प्रकाश, श्री शीशपाल सिंह,
डॉ. कृष्ण कुमार, श्री पवन खरखौदा, श्री अनिल यादव

श्री भारत भूषण बत्रा, अध्यक्ष — **सरकारी आश्वासनों के बारे में समिति**

सदस्य
श्री अशोक कुमार अरोड़ा, श्री ओम प्रकाश यादव,
श्रीमती शैली चौधरी, श्री जगमोहन आनन्द, श्री योगेंद्र सिंह राणा,
श्री धनेश अदलखा, श्री उम्मेद सिंह, श्रीमती मंजु चौधरी

विशेष आमंत्रित
श्री इंदुराज सिंह नरवाल

श्रीमती कृष्णा गहलावत, अध्यक्ष — **अधीनस्थ विधान समिति**

सदस्य
श्री घनश्याम सर्राफ, श्री राम कुमार कश्यप,
श्री रघुबीर तेवतिया, श्री सुनील सतपाल सांगवान,
श्री कंवर सिंह, श्री मनदीप चट्ठा, श्री विकास सहारण

विशेष आमंत्रित
श्री देवेन्द्र हंस

श्री घनश्याम दास, अध्यक्ष — **याचिका समिति**

सदस्य
श्रीमती गीता भुक्कल, श्रीमती शकुंतला खटक, श्री परमवीर सिंह, श्री भगवान दास, श्री लक्ष्मण सिंह यादव, श्री तेजपाल तंवर, श्री हरिन्द्र सिंह, श्री आदित्य देवीलाल

विशेष आमंत्रित
मो. इसराइल, श्री विकास सहारण

डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा, अध्यक्ष — **आवास समिति**

सदस्य
श्री घनश्याम दास,
श्री भगवान दास,
श्री मंदीप चट्ठा, श्रीमती पूजा

श्री विनोद भ्याना, अध्यक्ष — **स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति**

सदस्य
श्री घनश्याम सर्राफ, श्री मूलचंद शर्मा, श्री भरत सिंह बेनीवाल, श्री प्रमोद कुमार विज, श्री कुलदीप वत्स, श्री राजेश जून, श्री मुकेश शर्मा, श्री गोकुल सेतिया

विशेष आमंत्रित
श्री परमवीर सिंह, श्री निखिल मदान,श्री मंदीप चट्ठा

डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा, अध्यक्ष — **जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) सम्बन्धी विषय समिति**

सदस्य
मो. इलियास, श्री लक्ष्मण यादव,श्री नरेश सेलवाल, चौ. मामन खान, श्री कपूरसिंह, श्री सतीश कुमार फागना, श्री सतपाल जांबा, मो. इसराइल

विशेष आमंत्रित
श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया, श्रीमती बिमला चौधरी, श्रीमती मंजू चौधरी

श्री राम कुमार कश्यप, अध्यक्ष — **शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं सम्बन्धी विषय समिति**

सदस्य
श्रीमती रेनु बाला, श्री इंदुराज नरवाल, श्री रणधीर पनिहार, श्री देवेंद्र चतुर्भज अत्री, डॉ. कृष्ण कुमार, श्री हरिन्द्र सिंह, श्री बलराम दांगी, श्री देवेंद्र हंस

विशेष आमंत्रित
श्री शीशपाल सिंह, श्री कुलदीप वत्स

श्री लक्ष्मण सिंह यादव, अध्यक्ष — **पर्यावरण तथा प्रदूषण पर विषय समिति**

सदस्य
श्री चंद्र मोहन, चौ. अकरम खान, श्रीमती सावित्री जिंदल, श्री घनश्याम दास, श्री राम कुमार कश्यप, श्री प्रमोद कुमार विज, श्री आदित्य देवीलाल, श्री जस्सी पेटवाड़

विशेष आमंत्रित
श्री अशोक कुमार अरोड़ा, श्री आदित्य सुरजेवाला

श्री मनमोहन भड़ाना, अध्यक्ष — **युवा कल्याण एवं युवा मामलों के लिए विषय समिति**

सदस्य
श्री निखिल मदान, श्री सतपाल जांबा, श्री हरिन्द्र सिंह, श्री अर्जुन चौटाला, श्रीमती विनेश, श्री गोकुल सेतिया, श्री बलराम दांगी, श्री देवेंद्र सिंह कादियान

विशेष आमंत्रित
श्री जस्सी पेटवाड

श्री मूलचंद शर्मा, अध्यक्ष — **विशेषाधिकार समिति**

सदस्य
श्री चंद्र मोहन, श्रीमती सावित्री जिंदल, श्री ओम प्रकाश यादव, सरदार जरनैल सिंह, श्री तेजपाल तंवर, श्री प्रमोद कुमार विज, श्री राम करन, श्री रणधीर पनिहार, श्री अर्जुन चौटाला

विधायी कामकाज के निमित्त हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण की प्रमुख यात्राएं

12.12.2024 गांधीनगर में गुजरात के माननीय राज्यपाल और विधान सभा अध्यक्ष के साथ बैठक

02.01.2025 लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष के साथ बैठक

12.02.2025 प्रयागराज में उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष के निमंत्रण पर महाकुम्भ में शिरकत

20.02.2025 लखनऊ पहुंच कर उत्तर प्रदेश विधान सभा का सत्र देखा। विधायी कामकाज पर विचार विमर्श

विधायी कामकाज के निमित्त हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण की प्रमुख यात्राएं

20-21 जनवरी, 2025 को पटना में आयोजित 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में भाग लिया

25.03.2025 माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के साथ पंजाब विधान सभा का सत्र देखा

24.03.2025 हिमाचल प्रदेश विधान सभा का दौरा

11.06.2025 कर्नाटक विधान सभा का भ्रमण। विधायी कामकाज की बारीकियों पर चर्चा

विधायी कामकाज के निमित्त हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण की प्रमुख यात्राएं

30.06.2025 तपोवन (धर्मशाला) में सीपीए के जोन-2 के वार्षिक सम्मेलन में भागीदारी

14.07.2025 मुंबई में महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों के सत्र देखे

24.08.2025 दिल्ली विधान सभा में अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन, 2025 में भागीदारी

05.10.2025 ब्रिजटाउन, बारबाडोस में 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन (सीपीए) में भाग लिया

गत वर्ष में विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने संसदीय कार्यों के सम्बन्ध में हरियाणा का दौरा किया

श्री ओम बिरला, अध्यक्ष, लोक सभा

- 8 जनवरी, 2025 को हरियाणा विधान सभा के कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम।
- 14 फरवरी, 2025 को हरियाणा विधान सभा के माननीय सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम।
- 3 और 4 जुलाई, 2025 को देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) का राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन।
- 26 सितंबर, 2025 को हरियाणा विधान सभा के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।

श्री हरिवंश, उप सभापति, राज्य सभा

- 14 फरवरी, 2025 को हरियाणा विधान सभा के माननीय सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम।
- 3 और 4 जुलाई, 2025 को देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) का राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन।

श्री मनोहर लाल,
केन्द्रीय मंत्री

3 और 4 जुलाई, 2025 को देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) का राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन।

श्री सतीश महाना,
अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधान सभा

14 फरवरी, 2025 को हरियाणा विधान सभा के माननीय सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम।

सरदार कुलतार सिंह संधवा,
अध्यक्ष, पंजाब विधान सभा

14 फरवरी, 2025 को हरियाणा विधान सभा के माननीय सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम।

श्री शंकरभाई चौधरी,
अध्यक्ष, गुजरात विधान सभा

14 फरवरी, 2025 को हरियाणा विधान सभा के माननीय सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम।

श्री कुलदीप सिंह पठानियां,
अध्यक्ष, हिमाचल विधान सभा

14 फरवरी, 2025 को हरियाणा विधान सभा के माननीय सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम।

श्री यू. टी. खादर फरीद,
अध्यक्ष, कर्नाटक विधान सभा

26 सितंबर, 2025 को हरियाणा विधान सभा के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।

प्रो॰ राम शिंदे, सभापति,
महाराष्ट्र विधान परिषद

26 सितंबर, 2025 को हरियाणा विधान सभा के अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।

श्री जगदम्बिका पाल,
संसद सदस्य, लोक सभा

14 फरवरी, 2025 को हरियाणा विधान सभा के माननीय सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम।

डॉ संजय जायसवाल,
संसद सदस्य, लोक सभा

14 फरवरी, 2025 को हरियाणा विधान सभा के माननीय सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम।

श्री कैलाश विजयवर्गीय,
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री,
मध्य प्रदेश सरकार

3 और 4 जुलाई, 2025 को देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) का राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन।

डॉ सत्यपाल सिंह,
पूर्व सदस्य, लोक सभा

14 फरवरी, 2025 को हरियाणा विधान सभा के माननीय सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम।

प्रतिनिधि

- श्री उत्पल कुमार सिंह, महासचिव, लोक सभा
- श्री पी.सी मोदी, महासचिव, राज्य सभा
- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा
- सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभासचिव, पंजाब विधान सभा
- लोक सभा सचिवालय, भारत सरकार के अधिकारीगण
- 25 राज्यों और 3 केंन्द्र शासित प्रदेशों के महापौर, सभापति और अध्यक्ष (308 मानोनित प्रतिनिधि)
- भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (IETC) भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारीगण
- नेहरू युवा केन्द्र संगठन (युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार) के अधिकारीगण
- प्राइड, लोक सभा के अधिकारीगण
- संविधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान (ICPS) लोक सभा के अधिकारीगण
- हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (HIPA) के अधिकारीगण
- पी.आर.एस. लेजिस्लेटिव रिसर्च (PRS) के विशेषज्ञ
- राजधानी युवा संवाद के विशेषज्ञ

संकल्प/प्रस्ताव

बिहार की राजधानी पटना में 20-21 जनवरी, 2025 को आयोजित 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में पारित किए गए संकल्प

क्रमांक	संकल्प विवरण
संकल्प 1	अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन ने भारतीय संविधान निर्माताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। भारत की जनता और देश के प्रति उनके महान योगदान की सराहना की। यह संविधान, जन भागीदारी पर आधारित शासकीय व्यवस्था का पवित्र दस्तावेज है, जिसमें लोकतांत्रिक मूल्य और सामूहिक जन कल्याण की भावनाएं निहित हैं।
संकल्प 2	भारत के संविधान के अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय विधायी संस्थाओं के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन ने सामूहिक रूप से भारतीय संविधान के प्रति अपनी संपूर्ण आस्था व्यक्त की तथा संकल्प लिया कि संविधान में निहित मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप अपने अपने सदनों का कार्य संचालन करेंगे।
संकल्प 3	भारतीय विधायी संस्थाओं के पीठासीन अधिकारियों ने पुनः सामूहिक रूप से संकल्प लिया कि विधायी संस्थाओं में बाधारहित व्यवस्थित चर्चा एवं परिचर्चा को सुनिश्चित करेंगे, ताकि विधायी एवं नीतिगत मुद्दों पर जनहित में श्रेष्ठ संवाद का वातावरण बन सके।
संकल्प 4	भारतीय विधायी संस्थाओं के पीठासीन अधिकारियों ने संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर इसके मूल्यों को समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था, शहरी निकायों, सहकारी संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं एवं समाज के विभिन्न वर्गों तक संवैधानिक मूल्यों को योजनाबद्ध तरीके से पहुंचाने का अभियान व कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया, जिससे संवैधानिक मूल्यों की जड़े और गहरी व स्थायी हों और जन सहभागिता पर आधारित यह शासकीय व्यवस्था देश में और सुदृढ़ व मजबूत बने।
संकल्प 5	अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित डिजिटल टेक्नॉलाजी अपनाने की प्रतिबद्धता दोहरायी, जिससे विधायी संस्थाएं भारतवासियों को अत्यंत प्रभावी और श्रेष्ठ रूप से अपनी सेवाएं दे सकें।

संकल्प/प्रस्ताव

बेंगलुरू (कर्नाटक) में 11 सितंबर, 2025 को आयोजित 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन में पारित किए गए संकल्प

क्रमांक	संकल्प विवरण
संकल्प 1	लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए सदनों के अंदर गतिरोध और व्यवधान को समाप्त किया जाए ताकि हमारे सदनों में जनता के कल्याण के विषयों पर अधिक से अधिक चर्चा हो सके।
संकल्प 2	भारतीय संसद के सहयोग से राज्यों की विधायी संस्थाओं की अनुसंधान (Research) एवम् सन्दर्भ (Reference) शाखाओं को मजबूत किया जाए एवम् हमारी विधायिकाओं में सभी महत्वपूर्ण विषयों पर एक व्यापक डाटाबेस बने ताकि हमारी विधायी संस्थाओं में चर्चा की गुणवत्ता और अधिक बेहतर हो सके।
संकल्प 3	हमारी विधायी संस्थाओं में डिजिटल टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग हो ताकि लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यवाही को जनता के बीच उचित रूप से ले जाया जाए और विधायी संस्थाओं की दक्षता में अपेक्षित सुधार हो जिससे हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं में जन-विश्वास और अधिक मजबूत हो।
संकल्प 4	हमारे देश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग युवाओं और महिलाओं का है इसलिए लोकतांत्रिक संस्थाओं में उनकी और अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए विधायी संस्थाएं आवश्यक प्रयास करें।

संकल्प/प्रस्ताव

मुंबई में 23-24 जून, 2025 को देश के विधान मंडलों की प्राक्कलन समितियों की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में पारित किए गए संकल्प

क्रमांक	संकल्प विवरण
संकल्प 1	प्रशासन में दक्षता और मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिए बजट अनुमानों की बेहतर निगरानी और समीक्षा पर विशेष बल देते हुए, राजकोषीय विवेकशीलता, जवाबदेही और जन-केंद्रित शासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करना।
संकल्प 2	बजट अनुमानों की निगरानी और समीक्षा में सुधार लाने वाले सर्वोत्तम तरीकों, शोध अंतर्दृष्टि और प्रक्रियात्मक नवाचारों को अपनाने हेतु संसद और राज्य विधानमंडलों की प्राक्कलन समितियों के बीच समन्वय और ज्ञान के आदान-प्रदान को सुदृढ़ करना।
संकल्प 3	बजट अनुमानों और प्रशासनिक दक्षता से संबंधित सिफारिशों पर जन जागरूकता बढ़ाने और समय पर कार्यकारी कार्रवाई को सुगम बनाने के लिए समिति की रिपोर्टों का प्रभावी अनुवर्तन और व्यापक प्रसार सुनिश्चित करना, साथ ही सरकार द्वारा समिति की सिफारिशों की स्वीकृति और कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए एक ठोस प्रयास करना।
संकल्प 4	सख्त समय-सीमा का पालन करते हुए बजट अनुमानों और प्रशासनिक व्यय की विस्तृत जांच को प्राथमिकता दें, समिति के एजेंडे को दक्षता में सुधार और अपव्यय को समाप्त करने पर केंद्रित करें और इस प्रकार बजटीय अनुशासन सुनिश्चित करें।
संकल्प 5	समीक्षाओं के दौरान नागरिक समाज, विषय-वस्तु विशेषज्ञों और नागरिकों की प्रतिक्रिया तंत्र के साथ संरचित जुड़ाव के माध्यम से समावेशी और सहभागी निगरानी को बढ़ावा दें, और समिति के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए एआई तकनीक का लाभ उठाएं।
संकल्प 6	बैठकों की न्यूनतम संख्या निर्धारित करके और रिपोर्टों की संख्या को मानकीकृत करके समिति के निगरानी कार्यों में सुधार करें और बजट जांच और वित्तीय विश्लेषण में अपनी विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए समिति के सदस्यों को क्षमता निर्माण अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करें।

संकल्प/प्रस्ताव

तिरुपति में 14-15 सितंबर, 2025 को विधानमंडलों की महिला सशक्तिकरण/ महिला कल्याण समिति के अध्यक्षों के सम्मेलन में लिंग-संवेदनशील बजट पर पारित किए गए संकल्प

क्रमांक	संकल्प विवरण
संकल्प 1	नीति निर्माण, योजना, आवंटन, क्रियान्वयन और लेखापरीक्षा में लैंगिक दृष्टिकोण अपनाना। यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपनी योजनाओं का लिंग-आधारित प्रभाव के आधार पर मूल्यांकन करें - न कि केवल उन योजनाओं का जिन्हें "महिला-केंद्रित" कहा जाता है।
संकल्प 2	विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में बजट आवंटन महिलाओं और पुरुषों पर अलग-अलग कैसे प्रभाव डालते हैं, इसका आकलन करने के लिए लिंग-आधारित आंकड़ों का उपयोग करें।
संकल्प 3	मानव विकास के बुनियादी संकेतकों, जैसे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, औद्योगिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास आदि के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाएँ। महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देना ताकि उनकी रोज़गार क्षमता, करियर की संभावना और स्वास्थ्य में वृद्धि हो सके। इससे महिलाएँ विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनी भूमिका निभा सकेंगी।
संकल्प 4	लाभार्थी मूल्यांकन जैसे उपकरणों के माध्यम से परिणामों की निगरानी करना।
संकल्प 5	आवंटन और परिणामों पर नज़र रखने के लिए वार्षिक जेंडर बजट विवरण प्रकाशित करना।
संकल्प 6	नागरिक सहभागिता निगरानी और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जेंडर बजटिंग डेटा तक सार्वजनिक पहुँच को बढ़ावा देना।
संकल्प 7	राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर जेंडर-रिस्पॉन्सिव बजटिंग (जीआरबी) को संस्थागत बनाना, राज्यों के मंत्रालयों और विभागों में जेंडर बजट प्रकोष्ठ स्थापित करना।
संकल्प 8	विकेंद्रीकृत और क्षेत्र-विशिष्ट जेंडर हस्तक्षेपों को बढ़ावा देने के लिए जेंडर-रिस्पॉन्सिव बजटिंग (जीआरबी) को अपनाना।
संकल्प 9	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मैनुअल, हैंडबुक और प्रशिक्षण जैसी क्षमता निर्माण पहलों को बढ़ावा देना, जिससे जेंडर बजटिंग में तकनीकी विशेषज्ञता मजबूत हुई है।

हरियाणा के गौरव हमारे स्वतंत्रता सेनानी

हरियाणा विधानसभा परिसर में सुसज्जित प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी

1. श्री नाहर सिंह
2. राव तुलाराम
3. मास्टर नाहनू राम
4. चौधरी रणबीर सिंह
5. श्री बनारसी दास गुप्ता
6. पंडित श्री राम शर्मा
7. पंडित ठाकुर दास भार्गव
8. चौधरी देवी लाल
9. श्री हरि सिंह
10. श्री बाज सिंह
11. श्री देश बंधु गुप्ता
12. लाला अंचित राम
13. श्री चमन लाल आहूजा
14. बाबू मूलचंद जैन
15. श्री सोम दत्त वेदालंकार
16. लाला लाजपत राय
17. श्री बनारसी दास जिंदल
18. पंडित भगवत दयाल शर्मा
19. श्री नवीन चंद नाथ
20. श्री दीन दयाल
21. चौधरी जय सिंह
22. श्री रतन देव
23. श्री राम शरण आर्य
24. राव सोहन लाल
25. पंडित सूरज भान
26. श्री बलबीर सिंह शास्त्री
27. श्री जय प्रकाश
28. श्री मंगल सिंह
29. श्री हिरदा राम
30. चौधरी भीम सैन वेदालंकार
31. श्री जय राम
32. श्री किशोरी लाल गुप्ता
33. श्री जगन नाथ गोयल
34. चौधरी छतर सिंह कादियान
35. श्री वेद मुंशी राम आर्य
36. मास्टर नंद लाल
37. श्री भीम सिंह शास्त्री
38. ज्ञानी मेहर सिंह
39. श्री नारायण दास
40. कैप्टन कंवल सिंह दलाल
41. श्री नानक चंद ददी
42. श्री जेम बलेराम कादियान
43. कैप्टन प्रीतम सिंह
44. श्री ओम
45. सिया पॉश जरनैल केदारनाथ सहगल
46. श्री आत्मा राम
47. श्री मिंया सिंह
48. श्री राम चंद्र जिंदल
49. चौधरी अभय राम
50. चौधरी मातू राम
51. पंडित नेकी राम शर्मा
52. राव मंगली राम वैद्य
53. लाला श्याम लाल
54. श्री पूर्ण चंद आजाद
55. अब्दुल गफ्फार खान
56. डॉ. गोपी चंद भार्गव
57. अब्दुर रहमान खान
58. लाला हुक्म चंद जैन
59. चौधरी चरण सिंह
60. श्री साधु राम
61. श्री चंद
62. श्रीमती कस्तुरबी बाई
63. श्री शादी राम
64. श्री परमानन्द
65. श्री जगरा

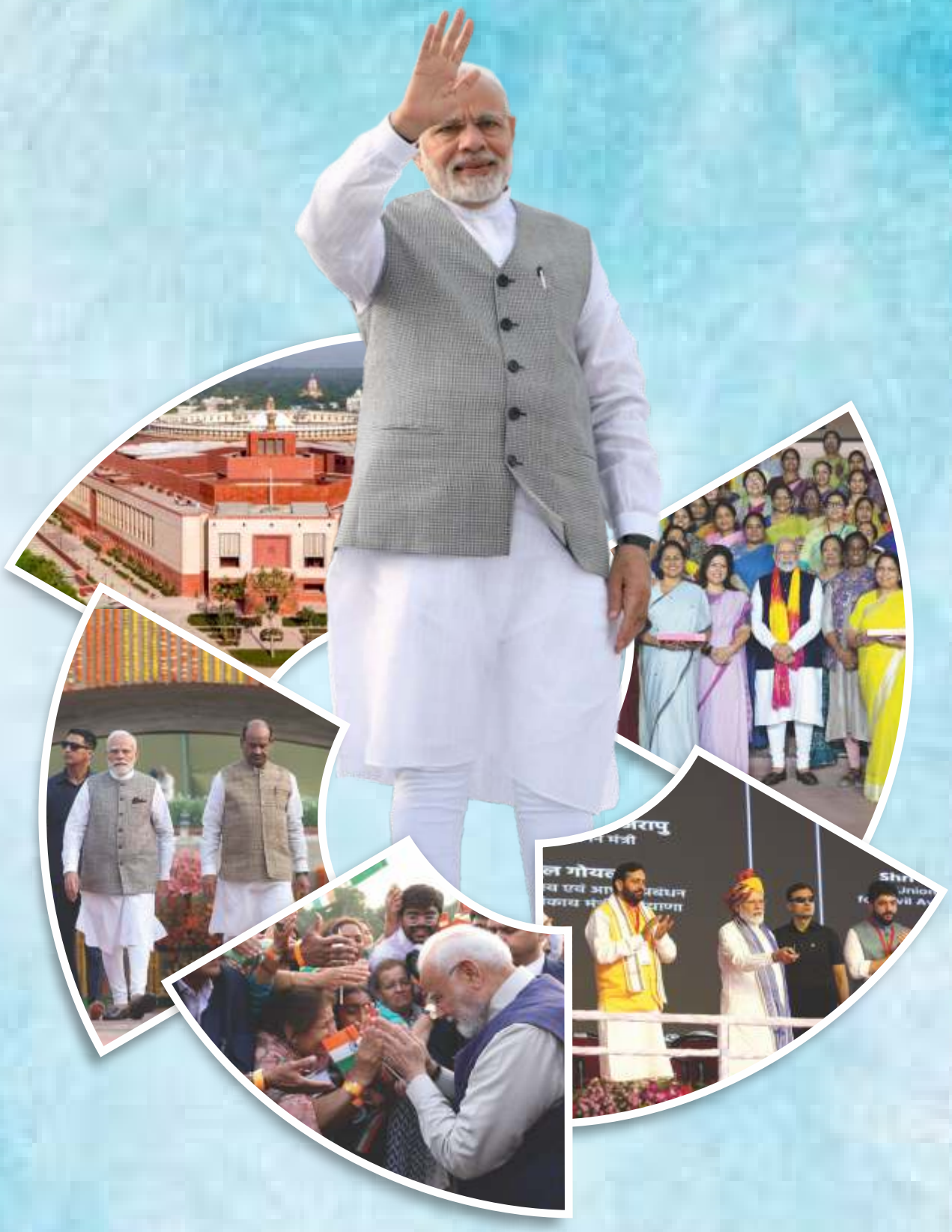

सशक्त विधायिका: समृद्ध समाज व विकसित भारत की आधारशिला

प्रधानमंत्री की सोच

प्रधानमंत्री ने अनेक पहलें की हैं जिनका उद्देश्य राज्य विधानसभाओं की क्षमता और प्रभावशीलता को सशक्त बनाना है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि

> *"भारत की प्रगति तभी संभव है जब हमारे राज्य प्रगतिशील हों, और राज्य तभी प्रगति कर सकते हैं जब उनकी विधायिकाएँ और कार्यपालिका मिलकर अपने विकास के लक्ष्य तय करें*

प्रधानमंत्री का यह संदेश केवल वर्तमान शासन प्रणाली को सशक्त करने का आह्वान नहीं है, बल्कि "विकसित भारत **2047**" के लक्ष्य की दिशा में एक ठोस कदम भी है। सशक्त विधानसभाएँ न केवल नीति-निर्माण को प्रभावी बनाएंगी, बल्कि राज्यों को आत्मनिर्भर, उत्तरदायी और नवाचार-प्रधान बनाकर उस भारत की नींव रखेंगी जो **2047** तक विश्व में अग्रणी स्थान प्राप्त करेगा।

- **एक राष्ट्र, एक विधायी मंच (One Nation One Legislative Platform):** यह पहल देश की सभी विधानसभाओं और संसद को एक सामान्य डिजिटल मंच पर लाने का प्रयास है, जिससे विधायी कार्यों में पारदर्शिता और समन्वय बढ़े। इस पहल से राज्यों की विधानसभाएं एक दूसरे के अनुभव साझा कर सकेंगी और समान तकनीकी संसाधनों का उपयोग कर सकेंगी।

- **राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA):** इस परियोजना का उद्देश्य राज्य विधानसभाओं को कागज़ मुक्त बनाने और डिजिटल विधायी प्रक्रियाओं को लोकप्रिय बनाना है। हरियाणा विधानसभा सहित, **27** राज्यों ने इस मंच को अपनाया है, जिससे विधायी प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और कुशल बनी है व इसका विस्तृत कार्यान्वयन राज्य सरकारों को विधायी क्षमता बढ़ाने में मदद कर रहा है।

- **प्रशिक्षण और क्षमता विकास:** प्रधानमंत्री ने विधायकों और विधायी अधिकारियों को सक्षम बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण पर बल दिया है। इसका उद्देश्य है कि विधायी कर्तव्यों का बेहतर तरीके से कार्यान्वयन हो सके।

- **समावेशी विधायिका:** प्रधानमंत्री ने महिलाओं और युवाओं को विधानसभाओं में बेहतर भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने **Nari Shakti Vandan Adhiniyam** का उल्लेख करते हुए कहा, "भारत जैसे विविधता-भरे देश में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के प्रयासों को और गति देनी चाहिए।" प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत एक युवा देश है, इसलिए "विधानिक समितियों में युवाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। हमारे युवा प्रतिनिधियों को अपने विचार रखने और नीति निर्माण में सक्रिय भाग लेने का अधिक अवसर मिलना चाहिए।"

- **पंचायती राज एवं स्थानीय निकायों की मजबूती:** प्रधानमंत्री ने पंचायतों को इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं से जोड़ा है, जिससे ग्राम स्तर पर भी शासन सुचारु हुआ है और लोगों की भागीदारी बढ़ी है।

- **समितियों का सशक्तिकरण:** प्रधानमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि समितियों का सशक्तिकरण राज्यों की आर्थिक प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि, "समितियाँ जितनी अधिक सक्रिय होकर अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगी, राज्य उतनी ही तेज़ी से प्रगति करेगा।" यहाँ रेखांकित करना आवश्यक है कि सक्रिय और प्रभावी समितियाँ नीति निर्माण तथा क्रियान्वयन के बीच सेतु का कार्य करती हैं, जिससे शासन अधिक उत्तरदायी और परिणाममुखी बनता है।

- **विधिक सुधार:** प्रधानमंत्री ने कानूनों के सरलीकरण और अप्रासंगिक अधिनियमों को निरस्त करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया है। उन्होंने विधानमंडलों के सभापतियों से आग्रह किया है कि वे अपने-अपने राज्यों में अप्रासंगिक कानूनों की समीक्षा करें और यह समझें कि ऐसे कानून नागरिकों के जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ऐसे अनावश्यक अधिनियमों को हटाने से शासन व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और नागरिकों का जीवन अधिक सरल व सुगम बनाया जा सकेगा।

भारत
का
संविधान
HARYANA VIDHAN SABHA

सशक्त विधायिका: समृद्ध समाज व विकसित भारत की आधारशिला

लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में विधायिका सशक्तिकरण की पहल

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने संसद और राज्य विधानसभाओं को आधुनिक, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने के लिए कई संस्थागत और तकनीकी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि

> *"भारत विश्व का सबसे बड़ा और अत्यंत विविधतापूर्ण लोकतंत्र है, और इस कारण हमारे ऊपर यह जिम्मेदारी है कि हम अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नवाचारी बनाएं।*

उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया है कि विधानमंडल लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाने, विधायी कार्यों में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने, तथा अपने क्षेत्रों की चुनौतियों और जनता की आकांक्षाओं का प्रभावी समाधान करने के लिए श्रेष्ठ प्रथाओं, नवाचारों और प्रौद्योगिकी का परस्पर आदान-प्रदान करें। ऐसे प्रयास न केवल संस्थागत क्षमता को बढ़ाएंगे बल्कि सशक्त विधायिका, समृद्ध समाज, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में भी सहायक सिद्ध होंगे।

- **डिजिटल विधान पहल (Digital Legislature Initiatives):** लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में संसद और राज्य विधानसभाओं को डिजिटल रूपांतरण की दिशा में ले जाने के लिए National e-Vidhan Application (NeVA) कार्यक्रम को गति दी गई। उनका यह स्पष्ट दृष्टिकोण है कि "डिजिटल संसदीय प्रणाली विधायकों की कार्यकुशलता और जनता से संवाद की पारदर्शिता दोनों को बढ़ाएगी।"

- **विधायी प्रारूपण एवं क्षमता निर्माण (Legislative Drafting and Capacity Building):** लोकसभा अध्यक्ष ने कहा है कि "स्पष्ट और सटीक विधायी लेखन लोकतंत्र की आत्मा है।" संसद के अधीन PRIDE (Parliamentary Research and Training Institute for Democracies) के माध्यम से देशभर की विधानसभाओं के लिए विधायी प्रारूपण, बजट विश्लेषण और संसदीय प्रक्रिया में दक्षता से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन प्रशिक्षण सत्रों का उद्देश्य विधायकों और सचिवालय अधिकारियों को कानून निर्माण की बारीकियों से अवगत कराना है, ताकि वे अधिक सार्थक और प्रभावी योगदान दे सकें।

- **विधायी विमर्श और संवाद सशक्तिकरण (Meaningful Debate and Dialogue):** लोकसभा अध्यक्ष ने कई बार कहा है कि स्वस्थ, रचनात्मक और तथ्यपरक बहस लोकतंत्र की पहचान है। धर्मशाला में आयोजित भारत-क्षेत्र राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में उन्होंने कहा, "वाद-विवाद की परंपरा लोकतंत्र की आत्मा है, हमें इस परंपरा को बनाए रखना होगा।" इस दिशा में उन्होंने सदनों में व्यवधान रोकने और सकारात्मक संवाद बढ़ाने के लिए सदन कार्य संचालन प्रणाली 2.0 विकसित करने का सुझाव दिया।

- **एक राष्ट्र, एक विधायी मंच (One Nation One Legislative Platform):** प्रधानमंत्री की इस इस पहल को वास्तविक रूप देने में नेतृत्वकारी भूमिका निभाई है व इस मंच को मजबूत बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "इस मंच पर संसद और राज्य विधानसभाओं का सहयोग 'संघीय लोकतंत्र' की भावना को नए स्तर पर ले जाएगा।" (PIB, जून 2025)। यह पहल संसद की प्रत्येक समिति और विधानसभाओं को एक दूसरे से जोड़ने की दिशा में अभूतपूर्व प्रयास है, जिससे सभी राज्य व संघशासित प्रदेश साझा संसदीय सीख और सर्वोत्तम प्रथाएँ अपना सकेंगे।

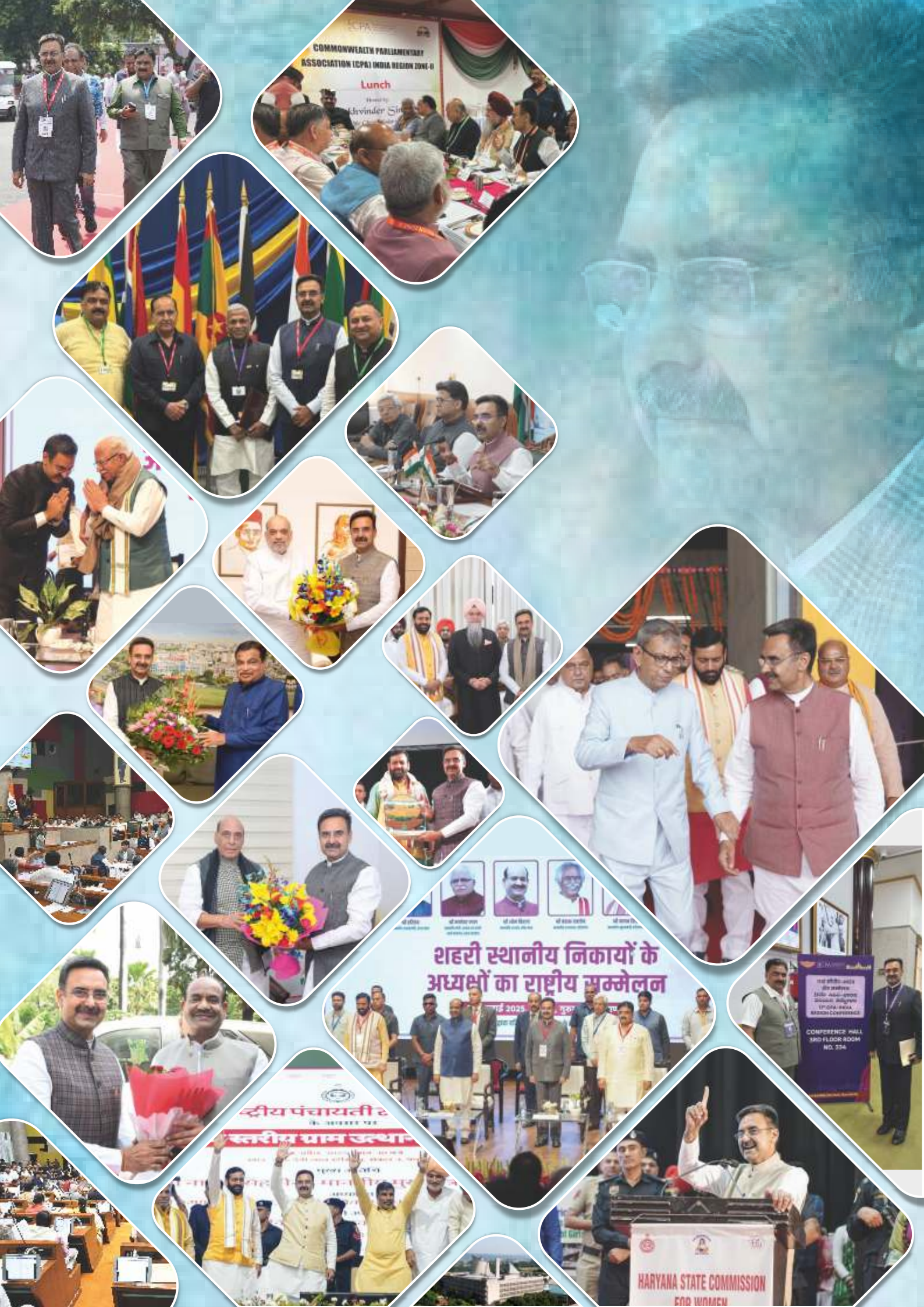
COMMONWEALTH PARLIAMENTARY ASSOCIATION (CPA) INDIA REGION ZONE-I
Lunch
शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन
HARYANA STATE COMMISSION FOR WOMEN

सशक्त विधायिका: समृद्ध समाज व विकसित भारत की आधारशिला

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष का प्रयास

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की दूरदर्शी पहल और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला जी के सशक्त नेतृत्व से प्रेरित होकर, हरियाणा विधानसभा, अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण जी के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में, "एक राष्ट्र, एक विधायिका" की भावना को साकार करने और इस राष्ट्रीय पहल को धरातल पर उतारने के लिए सक्रिय, संरचित और निरंतर प्रयास कर रही है। हरियाणा विधानसभा ने संविधानवाद, विधायिका सशक्तिकरण और सहभागी शासन को मज़बूत करने के लिए वर्ष 2025 में अनेक नवोन्मेषी पहलें कीं। युवा संसद, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय विधायी प्रारूपण प्रशिक्षण, राष्ट्रीय नगरीय निकाय सम्मेलन, मीडिया कार्यशाला और विधायी प्रारूपण कार्यशाला जैसे विविध आयोजन कर लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ, दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया गया। साथ ही, विधायी अनुसंधान एवं ज्ञान केंद्र की स्थापना कर विधायी अनुसंधान को संस्थागत रूप दिया गया, जिससे सदन के सदस्यों और अधिकारियों को साक्ष्य-आधारित नीति एवं विधायी कार्य में सहायता मिल सके। इन सभी पहलों के माध्यम से हरियाणा विधानसभा "एक राष्ट्र, एक विधायिका" की दिशा में सतत अग्रसर है — डिजिटल, पारदर्शी और सहभागी विधान प्रणाली के निर्माण की ओर, एक सशक्त, एकजुट और विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में।

Reformative Capacity Building Initiatives undertaken by 15th Haryana Vidhan Sabha

No	Training	Subject	Dated	Venue	Knowledge Partner
1.	Hon'ble Members of Haryana Vidhan Sabha	Orientation/Training Programme for the newly elected Hon'ble Members of Haryana Vidhan Sabha	12.11.2024	Haryana Niwas, Sector-3, Chandigarh	In collaboration with PRS Legislative Research
2.		Orientation Programme for Hon'ble Members of the Haryana Vidhan Sabha.	14.02.2025 & 15.02.2025	Haryana Legislative Assembly, Chandigarh	In collaboration with Parliamentary Research and Training Institute for Democracies (PRIDE) Lok Sabha
3.	Officers/ Officials	Capacity Building Programme for officials of the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.	08.01.2025 & 09.01.2025	MGSIPA, Sector-26, Chandigarh	In collaboration with Parliamentary Research and Training Institute for Democracies (PRIDE) Lok Sabha
4.		Capacity Building Programme relating to the Drafting of Notes/letters etc. Administration, Finance, Legal, Legislature, Etiquettes/Conducts for Officers/officials of Haryana Vidhan Sabha Secretariat	01.04.2025 to 09.04.2025	HIPA, Panchkula,	By Haryana Institute of Public Administration (HIPA)

No	Training	Subject	Dated	Venue	Knowledge Partner
5.	Officers/ Officials	Two days Training Programme on Legislative Drafting for the Officer/Officials of Haryana Vidhan Sabha and Govt. of Haryana.	26.09.2025 & 27.09.2025	MGSIPA, Sector-26, Chandigarh.	In collaboration with Institute of Constitutional and Parliamentary Studies (ICPS), Lok Sabha
6.	Media Persons	One-day workshop for Media Persons covering Legislative Business.	12.08.2025	Haryana Niwas, Sector-3, Chandigarh	In collaboration with PRS Legislative Research
7.	International Delegation	36th International Training Programme in Legislative Drafting (ILD)	16.04.2025 to 21.04.2025	Haryana Legislative Assembly, Chandigarh	In collaboration with Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) under the Ministry of External Affairs, Government of India

Youth Parliament

No.	Title	Dated	Venue	Collaborators
1.	State Round of Viksit Bharat Youth Parliament	31.03.2025	Haryana Vidhan Sabha	By Nehru Yuva Kendra Sangathan (Ministry of Youth Affairs & Sports, Govt. of India) with Haryana Vidhan Sabha
2.	Haryana Yuva Samvad, 2025	02.04.02025 & 03.04.2025	Haryana Vidhan Sabha	By Rajdhani Yuva Sansad with Haryana Vidhan Sabha

Conferences held by Haryana Vidhan Sabha

No.	Conference	Subject	Dated	Venue	Organized By
1.	National Level Conference of the Urban Local Bodies (ULBs) in States/UTs in the Country	Discussions on strengthening legislatures, urban governance and supporting the national development agenda	03.07.2025 & 04.07.025	ICAT, Centre-II, Manesar District Gurugram	Haryana Vidhan Sabha in collab-oration with Lok Sabha

Conferences outside State/Country

No.	Conference	Dated	Venue	Organized By
1.	85th All India Presiding Officer's Conference	20.01.2025 & 21.01.2025	Bihar Legislative Assembly, Patna	Bihar Vidhan Sabha and Lok Sabha
2.	Annual Conference of CPA India Region Zone-II	30.06.2025 01.07.2025	Tapovan, Dharamshala, Himachal Pradesh	Commonwealth Parliamentary Organization (CPA) and Himachal Pradesh Vidhan Sabha
3.	National Conference of State Legislatures Legislative Summit, 2025	04.08.2025 to 06.08.2025	Boston, USA	Organized by NCSL
4.	All India Speaker's Conference	24.08.2025 & 25.08.2025	Delhi Legislative Assembly, Delhi	Organized by Delhi Legislative Assembly
5.	11th CPA India Region Conference	11.09.2025 to 13.09.2025	Bengaluru, Karnataka	Organized by Bengaluru Legislative Assembly
6.	68th Commonwealth Parliamentary Conference (CPC)	05.10.2025 to 12.10.2025	Bridgetown, Barbados	Commonwealth Parliamentary Organization (CPA)

Other Activities

No.	Activities	Dated	Venue
1.	Dinner of Officers, Officials and Staff of the Haryana Vidhan Sabha	09.04.2025	Haryana Vidhan Sabha
2.	Teej Festival in Haryana Vidhan Sabha (Female Staff Members of Haryana Vidhan Sabha)	30.07.2025	Haryana Vidhan Sabha

Programmes for Future

No.	Name of the Programmes
1.	Implementation of AI based recording and translation of proceedings of the House in coordination with Lok Sabha. This also includes providing training to NeVA officials to effectively execute the former.
2.	Statewide Conference Series titled "SANKALP" under the theme "Ek Bharat, Ek Vidhan Manch: Samvidhanik Adhikar Aur Lok Shasan Ki Shakti" focusing on building legislative awareness, participative governance, and capacity within Urban Local Bodies, Panchayati Raj Institutions, Cooperatives, and among women, youth and students in Schools, Higher Education institutes and Public at large in furtherance of the Prime Minister's vision for "One Nation, One Legislature" and to reflect the resolutions of the 85th All-India Presiding Officers' Conference (AIPOC) held in Patna in January 2025
3.	Study on implementing and introducing the post of Presiding Officer in Local Bodies of Haryana with the Department of Uraban Local Bodies, Govt. of Haryana.
4.	All India Presiding Officers' Conference (AIPOC) in January, 2026 – Lucknow – 21-23 January, 2026
5.	Conference of CPA Zone-II in coordination with Lok Sabha. Five States: Haryana, Punjab, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and Delhi consists of this Zone.
6	Publication of Vidhan Sabha Quarterly Magazine – "Sadan Sandesh", having works of Legislature, 3 tier system etc.
7.	Setting up of a Constitution Gallery in the H.V.S. premises showcasing the work of the Legislature, inspirational quotes, important speeches and historic events related to the Haryana Vidhan Sabha, Lok Sabha, and other democratic institutions, along with dedicated information panels for public awareness and learning.
8.	MLAs Hostel Expansion and New Dispensary.
10.	Capacity Building of all the Officers, Officials and Staff (including Peons and Drivers) though various trainings (offline and online) and workshops in collaboration with principal knowledge partners: PRIDE (Lok Sabha), ICPS (Lok Sabha) and HIPA (Govt. of Haryana). This is currently ongoing.
11.	Publishing of "Manual" and "Who's Who" of Haryana Vidhan Sabha.

शहरी स्थानीय निकाय राष्ट्रीय सम्मेलन: लोकसभा-हरियाणा विधानसभा संयुक्त पहल

3 से 4 जुलाई 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र (ICAT), मानेसर, गुरूग्राम में आयोजित सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) का राष्ट्रीय सम्मेलन लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल रहा। लोकसभा और हरियाणा विधानसभा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सम्मेलन में देशभर से मेयर, चेयरपर्सन, सांसद, विधायक और नगर निकाय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उद्घाटन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह, तथा हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, श्री विपुल गोयल, उद्योग मंत्री, राव नरवीर सिंह सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। वहीं द्वितीय दिवस के सत्रों में भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्री, श्री मनोहर लाल, मध्यप्रदेश के शहरी विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, केंन्द्रीय मंत्री राव इन्द्रजीत सिंह व अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। श्री मनोहर लाल व श्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने सभा को संबोधित किया। दो दिनों तक चले इस सम्मेलन में शहरी प्रशासन, महिलाओं के सशक्तिकरण, सुशासन, नवाचार, और "विकसित भारत @2047" के लक्ष्यों पर गहन विचार-विमर्श हुआ। सम्मेलन का समापन हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय एवं राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ। सम्मेलन में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें 308 नामित प्रतिनिधि: 25 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से मेयर, चेयरपर्सन और प्रेसीडेंट, हरियाणा से बाहर के 5 सांसद और हरियाणा के 5 सांसद, हरियाणा विधानसभा के 53 सदस्य (मंत्रियों सहित); हरियाणा के विभिन्न ULBs से 75 मेयर व चेयरपर्सन, 5 विशिष्ट अतिथि; तथा लोकसभा, हरियाणा विधानसभा और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। सुव्यवस्थित आतिथ्य व समन्वय के साथ, सम्मेलन ने शहरी शासन सुदृढ़ीकरण, संस्थागत आचरण, और विकसित भारत@2047 पर राष्ट्रीय स्तर की साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

सम्मेलन को सफल बनाने में लोकसभा सचिवालय, हरियाणा विधान सभा सचिवालय, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, हरियाणा सरकार, पुलिस विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, DIPR, गुरूग्राम जिले के अधिकारी आदि का सहयोग रहा।

हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण बने सीपीए जोन-2 के चेयरपर्सन

हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) के भारतीय क्षेत्र के जोन-2 के संयोजक/चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। यह घोषणा सीपीए के 11वें भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान 12 सितंबर को लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने की। श्री बिरला सीपीए भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन के अध्यक्ष हैं। सीपीए के भारतीय क्षेत्र में भारतीय संसद तथा 31 प्रान्तीय विधानमंडल शामिल हैं।

सीपीए के भारतीय क्षेत्र के 9 जोन हैं। इनमें से हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण को जिस जोन-2 का संयोजक/चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है, उसमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पंजाब के विधानमंडल शामिल हैं। श्री कल्याण की यह नियुक्ति सितंबर 2025 से अगस्त 2026 तक की अवधि के लिए की गई है। इस नियुक्ति के लिए विधान सभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण ने लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला का आभार व्यक्त किया। वहीं, हरियाणा विधान सभा के उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा ने श्री कल्याण को बधाई दी।

विधान सभा पुस्तकालय का नवीनीकरण

हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण ने 11 अगस्त, 2025 को विधान सभा पुस्तकालय के नवीनीकरण का विधिवत उद्घाटन किया। इस पुस्तकालय में विधायकों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के लिए अध्ययन एवं शोध का अनुकूल वातावरण और संसाधन उपलब्ध होंगे। इसके माध्यम से उच्चस्तरीय संदर्भ सामग्री, डिजिटल डेटाबेस और संसदीय व विधायी दस्तावेजों का सुव्यवस्थित संकलन उपलब्ध कराया जा सकेगा।

विधायी अनुसंधान एवं ज्ञान केंद्र की स्थापना

विधायी अनुसंधान सहायता को संस्थागत रूप देने के उद्देश्य से हरियाणा विधान सभा में 11 अगस्त, 2025 को एक समर्पित विधायी अनुसंधान एवं ज्ञान केंद्र (Legislative Research & Knowledge Centre) की स्थापना की गई है। इस केंद्र का दायित्व है - संरचित, प्रमाणिक और समयबद्ध अनुसंधान सामग्री उपलब्ध कराना। यह केंद्र सदन के माननीय अध्यक्ष, पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों को अनुसंधान, संदर्भ, नियमों, संसदीय परंपराओं तथा विधायी जानकारी से संबंधित सहयोग प्रदान करने हेतु स्थापित किया गया है, वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी सामग्री उपलब्ध कराने का यह विशेष केन्द्र होगा जो अध्यक्ष महोदय की नई पहल है।

विकसित भारत में विद्यार्थियों की भूमिका बढ़ाने के लिए हरियाणा युवा संसद का आयोजन

हरियाणा विधान सभा के सदन में 2 और 3 अप्रैल, 2025 को राजधानी युवा संसद की ओर से हरियाणा युवा संसद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के लिए 60 प्रतिभागियों का चयन किया गया। इन सभी युवाओं ने हरियाणा के विकास पर रचनात्मक विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित करते हुए हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण ने कहा कि संवाद हमारी संस्कृति का आधार होने के साथ लोकतंत्र की आत्मा भी है। उन्होंने युवाओं से विकसित भारत में अपनी भूमिका तय करने का आह्वान किया। इससे पूर्व 2 अप्रैल को विधान सभा उपाध्यक्ष डॉ.कृष्ण लाल मिड्ढा ने युवा प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनका मार्गदर्शन किया। ऐसे प्रायोजन युवा शक्ति में लोकतांत्रिक मूल्यों की भावना पैदा करने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं।

समितियों को प्रभावी बनाने के गुर

हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण ने 2 मई, 2025 को सेक्टर 3 स्थित हरियाणा निवास में नवगठित समितियों के सभापतियों, सदस्यों और अधिकारियों के साथ बैठकें कीं। इस दौरान उन्होंने समितियों की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने के गुर साझा करते हुए कहा कि सदस्यों को पूरी जानकारी तथा तैयारी के साथ समय पर समितियों में कार्य करके विधायिका की गरिमा बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। श्री कल्याण ने कहा कि समितियों सदन का लघु रूप हैं, इनकी कार्यप्रणाली सदन की गरिमा व शक्तियों के अनुरूप होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने समितियों के सभापतियों, सदस्यों और अधिकारियों की बैठकों को प्रभावी बनाने के लिए सुझाव भी मांगे। बैठक में विधान सभा उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा समेत बड़ी संख्या में विधायक मौजूद रहे।

विकसित भारत युवा संसद में 86 युवाओं ने भाग लिया

हरियाणा विधान सभा के सदन में 31 मार्च, 2025 को केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से 'विकसित भारत युवा संसद 2025' का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से 86 युवाओं ने भाग लिया। प्रत्येक प्रतिभागी ने विकसित भारत बनाने के उद्देश्य से संवैधानिक मूल्यों पर अपने विचार रखे। विकसित भारत युवा संसद, 2025 की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिसार की निमिशा सूर्यवंशी प्रथम, रोहतक की भूमिका द्वितीय तथा झज्जर की दक्षिता गुलिया तृतीय स्थान पर रहीं। विधान सभा अध्यक्ष ने इन सभी को सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण ने युवाओं से सकारात्मक राजनीति में भाग लेने का आह्वान किया।

बजट समितियों का किया उत्साह वर्धन

हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण ने 21 मार्च, 2025 को बजट की अनुदान मांगों पर विचार कर रही कमेटियों का दौरा किया। इन सभी कमेटियों की बैठकें विधान सभा सचिवालय में हो रही थी। विधान सभा अध्यक्ष वित्त पर स्थायी समिति, क्षेत्रीय विकास एवं स्थानीय स्व-शासन पर स्थायी समिति और वृद्धि सक्षमीकरण एवं आधारभूत सरंचना विकास पर स्थायी समिति की बैठकों में गए और सदस्यों तथा अधिकारियों से सकारात्मक सोच से काम करने का आवहान किया।

संविधान दिवस पर डॉ. अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित

हरियाणा विधान सभा की ओर से 26 नवंबर, 2024 को संविधान दिवस के मौके पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधान सभा अध्यक्ष ने विधान सभा के अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान की उद्देश्यिका का वाचन करवाया। इससे पूर्व उन्होंने विधान भवन में स्थापित संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर अधिकारियों सहित पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। विधान सभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण ने कहा कि आज पूरा देश अपने संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता अर्पित कर रहा है।

सामाजिक पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता: मां के नाम पर लगाया पलाश का पौधा

हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष ने सेवा पखवाड़ा के तहत 19 सितंबर को एमएलए हॉस्टल परिसर में पलाश का पौधा लगाकर 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान का शुभारंभ किया। इसके बाद एनआईटी फरीदाबाद से विधायक सतीश कुमार फागना और विधान सभा अधिकारियों ने भी पौधारोपण किया। इस अवसर पर ट्रैवलर पाम, सेगियम, एरोकेरिया, पलाश, मिशेलिया चम्पाका, कटोसिया, हिबिस्कुस, थ्यूजा, बेला पत्ता अंजीर, इक्सोरा, फ़िकस पांडा, नेकोडिया आदि के 300 से अधिक पौधे लगाए गए।

बाढ़ पीड़ितों की सहायता

हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष ने प्रदेश में आई बाढ़ से प्रभावित परिवारों को अपना एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देकर सहायता देने की शुरूआत की। विधान सभा अध्यक्ष ने 6 सितंबर को कहा कि सरकार अपने स्तर पर राहत व बचाव के सभी कदम उठा रही है परन्तु यह समय सरकार के साथ साथ समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए भी ज़रूरतमंदों के साथ खड़े होने का है। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व कर्मचारियों से अपील की, कि वे कम से कम एक दिन से लेकर एक माह तक का वेतन सहायता राशि के तौर पर दान करें ताकि बाढ़ पीड़ितों को अधिक से अधिक सहायता मिल सके। मा. अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा, मा. उपाध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा, मा. विधायक श्री योगिद्र सिंह राणा और मा. विधायक श्री परमवीर सिंह तथा विधान सभा के अधिकारी सर्वश्री रामनारायण यादव, मा. अध्यक्ष के सलाहकार, श्री गौरव गोयल, उप-सचिव एवं मा. अध्यक्ष के सचिव, श्री राजेन्द्र सिंह चौहान,अवर सचिव, श्रीमती उषा, श्री जसवन्त, श्री मंजीत सिंह, श्री जोगिन्द्र सिंह, श्री राजेन्द्र सिंह, श्री बलराज सिंह, श्री ओ.पी. राणा, श्री सुनील कुमार, श्री रतन लाल दहिया, श्री कृष्ण चन्द्र, श्री वीरभान, श्री गुरबाज लाल, श्री सुनील कुमार ने मुख्यमंत्री राहत कोष में अपना-अपना योगदान दिया।

पारंपरिक उल्लास और सांस्कृतिक रंगों के साथ मनाया तीज उत्सव

हरियाणा विधान सभा में 30 जुलाई, 2025 को तीज उत्सव पारंपरिक उल्लास, उमंग और लोक संस्कृति की छटा के साथ सम्पन्न हुआ। इस विशेष आयोजन में महिला विधायक, विधायकों की पत्नियों, विधान सभा के महिला स्टाफ तथा महिला पत्रकारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कार्यक्रम स्थल को सावन की बेला थीम पर सजाया गया था, जहां पारंपरिक झूले, मेहंदी, लोकगीत, नृत्य, खेल और श्रृंगार की विभिन्न गतिविधियों ने माहौल को जीवंत कर दिया। इस अवसर पर विधान सभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण की धर्मपत्नी एवं लेखिका श्रीमती रेशमा कल्याण मुख्य अतिथि रहीं। कार्यक्रम में अनेक विधायक सपत्नीक शामिल हुए।

इस अवसर पर विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि आज विधान सभा परिसर में महिला शक्ति की आवाज गूंजी है। विधान सभा उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढ़ा ने तीज पर्व का पारंपरिक महत्व बताते हुए कहा कि यह हरियाणा की उत्सवधर्मी संस्कृति का त्योहार है। मुख्य अतिथि श्रीमती रेशमा कल्याण ने कहा कि तीज पर्व हमारी आस्था और प्रेम का प्रतीक है। इस अवसर विधायक श्रीमती सावित्री जिंदल, श्रीमती शक्तिरानी शर्मा और श्रीमती कृष्णा गहलावत ने भी संबोधित किया।

नशा मुक्ति का संदेश देने के लिए साइक्लोथॉन का आयोजन

विधान सभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण ने नशामुक्ति और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए 26 अगस्त को साइक्लोथॉन का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह और विधान सभा अध्यक्ष के नेतृत्व में मंत्री और विधायक साइकिलों और ई-रिक्शा से चण्डीगढ़ स्थित सेक्टर 3 स्थित एमएलए हॉस्टल से रवाना होकर विधान सभा पहुंचे। इस मौके पर विधान सभा अध्यक्ष ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि विधान सभा की ओर से नशा मुक्ति की दिशा में यह बड़ी पहल है। इस सांकेतिक यात्रा से समाज में इसके प्रति बड़ा संदेश जाएगा।

योगमय दिखाई दिया हरियाणा विधान सभा का प्रांगण

हरियाणा विधान सभा का परिसर 10 जून, 2025 को योगमय दिखाई दिया। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह के नेतृत्व में प्रदेश के विधायकों और विधान सभा के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मनोयोगपूर्वक योग किया। हरियाणा योग आयोग और आयुष विभाग की समर्पित टीम ने यह योग प्रोटोकॉल करवाया। विधान सभा अध्यक्ष ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए सभी से 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल होने का आह्वान किया। यह योग अभ्यास सत्र सकारात्मक ऊर्जा, सहभागिता और स्वस्थ जीवनशैली के संदेश के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने योग प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विभिन्न आसन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया और सभी उपस्थित लोगों को भी नियमित योग करने के लिए प्रेरित किया।

विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को दिया रात्रि भोज

बजट सत्र की समाप्ति के बाद विधान सभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण ने विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिनांक 9 अप्रैल, 2025 को हरियाणा विधान सभा में रात्रि भोज दिया। इससे विधान सभा के स्टाफ में एक नई ऊर्जा और जिम्मेवारी का अहसास देखने को मिला।

राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा-2025 में शामिल युवाओं ने देखा विधान भवन

राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा-2025 में शामिल पूर्वोत्तर के विद्यार्थियों ने 29 जनवरी, 2025 को विधान सभा परिसर का अवलोकन किया। इस यात्रा का आयोजन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से किया गया। यात्रा का उद्देश्य विद्यार्थियों के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों का दूसरे राज्यों के साथ सांस्कृतिक मूल्यों का आदान-प्रदान करना है। यात्रा में मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के 31 विद्यार्थी शामिल हुए। हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष ने यात्रा में शामिल विद्यार्थियों से बातचीत की तथा भविष्य के बारे में उनकी योजना के बारे में जानकारी ली। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि युवा हमारे देश का भविष्य है, इसलिए उनका स्वयं का भविष्य उज्ज्वल होना नितांत आवश्यक है। इस दौरान एबीवीपी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री गौरव अत्री ने बताया कि विविधता में एकता के उद्देश्य से 1966 में अंतराज्यीय छात्र जीवन-दर्शन प्रकल्प की शुरुआत की गई थी।

संविधान के रोचक तथ्य

भारतीय संविधान एक जीवित तथा लिखित लम्बा संविधान है इसकी अनेक विशेषताऐं हैं। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वह व्यक्ति हैं जिसकी हस्तलिपि में भारत के संविधान की अंग्रेजी की कॉपी तैयार हुई। जब भारत के संविधान का प्रारूप मुद्रण के लिए तैयार था तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने श्री बिहारी से इसे प्रवाहपूर्ण इटैलिक शैली में हस्तलिखित करने का प्रस्ताव रखा। संविधान का हिन्दी में अनुवाद का काम श्री घनश्याम सिंह गुप्ता ने किया। हिन्दी प्रतिलिपी के सुलेखन का कार्य श्री बसन्त कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया जबकि चित्रण की अनुकृति श्री अक्षय कुमार दास व उनके साथियों ने की।

भारतीय संविधान का अंतिम प्रारूप, जिसे 26 नवंबर, 1949 को दिया गया, किसी उत्कृष्ट कृति से कम नहीं है। जहां नंदलाल बोस और उनके छात्रों ने इसके हर पृष्ठ की सीमाओं को डिजाइन किया और उसे सुंदर कलाकृतियों से सजाया, वहीं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के प्रयास ने संविधान की मूल विषयवस्तु और प्रस्तावना को अपने सुलेख से जीवंत किया।

श्री प्रेम बिहारी एक पारम्परिक सुलेखक थे। प्रेम फाउंडेशन के अनुसार पूरी प्रक्रिया में 432 पेन-होल्डर निब का उपयोग किया गया था और उन्होंने इस सुलेख के लिए 303 नंबर निब का उपयोग किया। संविधान की मूल पांडुलिपि 16×22 इंच के चर्मपत्र पर लिखी गई थी, जिसकी आयु एक हजार वर्ष है। तैयार पांडुलिपि में 251 पृष्ठ थे इसका वजन 3.75 किलोग्राम है। इस पर सबसे पहले हस्ताक्षर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद ने किये थे, जबकि अंतिम हस्ताक्षर फिरोज गांधी के थे।

देहरादून स्थित भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कार्यालय में अंग्रेजी प्रतिलिपी तैयार हुई और हस्ताक्षरित पांडुलिपि की फोटोलिथोग्राफड अंग्रेजी की प्रतियां बनाई गई जबकि हिन्दी प्रतिलिपी का पुनःमुर्दण श्री सुधीर कुमार जैन, मैसर्स जैनको आर्ट इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा किया गया।

विधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसम्बर, 1946 को हुई। इसी दिन डॉ॰ सच्चिदानन्द सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा फ्रैंक एन्थोनी को उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। पहली बैठक की एक रोचक घटना है जब डॉ॰ सिन्हा ने अपने चुनाव के तुरन्त बाद सभा को सूचित किया कि मुझे नवाब मोहम्मद जोगांजी खान के ब्रिटिश बलुचिस्तान से संविधान सभा का सदस्य चुने जाने के विरूद्ध खान अब्दुस समद खान से चुनाव याचिका मिली है, जिस पर निर्णय स्थायी अध्यक्ष के चुनाव के बाद होगा तब तक चुने हुए महानुभाव ही सदस्य रहेंगे। 11 दिसम्बर, 1946 को डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया।

संविधान सभा में उद्देश्यों संबधी प्रस्ताव पंडित नेहरू ने 13 दिसम्बर 1946 को पेश किया जिसे सभा ने 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। इस प्रस्ताव के माध्यम से संविधान निर्माताओं ने देश-दुनिया को यह बताने का प्रयत्न किया कि हम क्या करने वाले हैं और हमारे उद्देश्य क्या हैं। 17 अक्टूबर, 1949 को इन्हीं उद्देश्यों संबधी प्रस्ताव संविधान में उद्देशिका (प्रीऐम्बल) के रूप में जोड़ा गया। देश का शासन 14-15 अगस्त 1947 को रात्रि 12 बजे के तुरन्त बाद हासिल करने के लिए संविधान सभा की बैठक 14 अगस्त 1947 को रात्रि 11 बजे हुई। सत्ता हासिल करने के तुरन्त बाद लार्ड माउंटबेटन को वायसराय से गर्वनर जनरल घोषित किया गया।

29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई और डॉ॰ अम्बेडकर इसके अध्यक्ष बने। इस समिति ने 141 दिन काम किया।

समिति को कांस्टीच्यूशन एडवाइजर द्वारा सौंपे ड्राफ्ट में 243 अनुच्छेद तथा 13 शिड्यूल थे। समिति के ड्राफ्ट में 315 अनुच्छेद तथा 8 शिड्यूल थे और अंतिम तैयार संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 8 शिडयूल बने। संविधान बनाते समय 7635 के करीब संशोधन आये जिनमे से 2473 संशोधन सदन में प्रस्तावित हुए। डॉ॰अम्बेडकर ने संविधान के ड्राफ्ट का कार्य पूरा करके 21 फरवरी, 1948 के पत्र द्वारा ड्राफ्ट को डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद को सौंपा। यह ड्राफ्ट भारत की जनता के सामने 8 महीने रहा, जिस दौरान जनता से सुझाव/रेप्रीजेन्टेशन आए, जिनका समुचित समाधान हुआ।

संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीनें और 17 दिन काम किया। सभा ने कुल 11 सत्र में 165 दिन काम किया। 165 दिन में से 114 दिन तक ड्राफ्ट कांस्टीच्यूशन को संविधान सभा ने विचार किया। सत्र के दौरान 53 हजार दर्शक ने सभा की कार्यवाही देखी। संविधान के बिल को 26 नवम्बर 1949 को अंतिम रूप दिया गया जो उसी दिन डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद के हस्ताक्षर के साथ एक्ट बन गया और तुरन्त प्रभाव से लागू हो गया। हालांकि भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना।

संविधान की अंतिम बैठक 24 जनवरी, 1950 को हुई जिसमें भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद के चुने जाने की घोषणा हुई। इसी दिन भारतीय संविधान की तीन प्रतियां (एक अंग्रजी की हस्तलिपि, दूसरी अंग्रेजी की मुद्रित तथा तीसरी हिन्दी की हस्तलिपि) पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक थी परन्तु 22 नवम्बर, 1949 तक संविधान बनाने पर 63,96,729 रूपये का खर्चा हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बन गया। भारत के संविधान में वर्ष 2025 तक 106 संविधान संशोधन आ चुके हैं इसलिए भारत के संविधान को जीवित संविधान भी कहा जाता है जिसमें समय, स्थिति व आवश्यकतानुसार बदलाव करने के प्रावधान हैं।

डॉ॰ चन्द्र त्रिखा,
निदेशक,
हरियाणा हिन्दी साहित्य अकादमी

रामनारायण यादव,
सलाहकार,
माननीय अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा

विधानसभा परिसर-विधायी साझेदारी का विलक्षण नमूना

पूरे देश में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता, जिसमें एक ही विधानसभा- परिसर एक ही सचिवालय व एक ही उच्च न्यायालय से दो-दो प्रदेशों व केंद्र शासित प्रदेश के हितों व अधिकारों की रक्षा होती है। एक ही सचिवालय में विराजमान दो राज्य सरकारें एक-दूसरे राज्य के विरुद्ध भी निर्णय लेती है, लेकिन सौहार्दपूर्ण सांझेदारी कायम हैं। यही स्थिति विधान भवन-परिसर की है, जिसके एक किनारे पंजाब विधानसभा अपने विधायी काम करती है और दूसरे किनारे से हरियाणा विधानसभा में ऐसे अनेक अवसर आए हैं, जब इसी परिसर से द्विपक्षीय मुद्दों पर एक-दूसरे के विरुद्ध प्रस्ताव पारित हुए हैं।

पहले, संयुक्त पंजाब में इस विधान भवन में दो सदन थे। एक ओर विधान सभा कक्ष और दूसरी ओर विधान परिषद् कक्ष। दोनों सदन वर्ष 1966 के प्रथम नवम्बर को हरियाणा प्रदेश के अस्तित्व में आने पर अलग हुए। विधानसभा सदन पंजाब के तथा विधान परिषद सदन हरियाणा के हिस्से आया। उस समय संयुक्त पंजाब विधान सभा से 54 सदस्य हरियाणा के हिस्से में आए, जिनमें से 10 सीटें आरक्षित थी। वर्ष 1967 में हरियाणा विधानसभा के सदस्यों की संख्या 81 हो गई, जिसमें 15 सीटें आरक्षित थीं। जबकि 1977 में यह सदन 90 विधायकों वाला बन गया, इनमें से 17 आरक्षित स्थान थे।

प्रायः उस व्यक्ति को यह सदन भूल जाता है, जिसने उस पूरे विधानसभा-परिसर का प्रारूप (डिजाईन) तैयार करके निर्माण कराया था। यह परिसर चंडीगढ़ स्थित 'केंद्रित राजधानी-परिसर (कैपीटल कॉम्प्लेक्स)' का एक महत्वपूर्ण अंग है।इस भवन की कल्पना 1951 के आसपास हो गई थी। 13 अप्रैल, 1958 को पंडित जवाहर लाल नेहरु ने इस भवन की नींव रखी। 6 मार्च, 1961 को इस भवन में पहली बैठक हुई। 13 मार्च, 1962 से इसमें औपचारिक बैठकें होनी शुरू हो गई। लाहौर से शिमला, शिमला से चन्ड़ीगढ़ आने पर सदन की बैठके पंजाब इंजिनियरिंग कालेज तथा वर्तमान में गवर्नमैंट मॉडल उच्च विद्यालय -10 चन्डीगढ़ के हाल में होती रहीं। यह असेम्बली हाल आज भी संरक्षित है।

यह पूरा परिसर चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स शहर के सेक्टर-1 में स्थित है, यह वही परिसर है जिसे वास्तुकार ली कोर्बुसिए और उनके सहकर्मियों द्वारा डिजाइन किया गया था। यह लगभग 100 हेक्टेयर (0.31 वर्ग मील) के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें तीन इमारतें शामिल हैं 'विधान भवन' 'सचिवालय भवन' और 'उच्च न्यायालय' इनके अलावा चार स्मारक (ओपन हैन्ड स्मारक, जियोमेट्रिक हिल, टॉवर ऑफशैडोज और शहीद स्मारक) और एक झील। इसे आधुनिकतावादी वास्तुकला के विकास में योगदान के लिए ली कोर्बुसिए द्वारा अन्य कार्यों के साथ 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में जोड़ा गया था।इस सारी संरचना को इस तरह डिजाइन किया था कि किसी भी कोण से सूर्य की एक भी किरण इसमें प्रवेश नहीं करती। इस मीनार का उत्तरी भाग खुला रहता है क्योंकि इस दिशा से सूर्य कभी नही चमकता। ली कोर्बुसिए ने कॅपिटल कॉम्प्लेक्स की अन्य इमारतों के लिए भी यही सिद्धांत अपनाया।

चन्डीगढ़ शहर के साथ 'कैपिटल कॉम्प्लेक्स' की कल्पना भारत के विभाजन (1947) के बाद से ही शुरू हो गई थी। जब पंजाब को पूर्व सांझा राजधानी लाहौर, भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान का अंग बन गई थी। इसके लिए 1950 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने अमेरिकी वास्तुकार अल्बर्ट मेयर और उनके सहयोगी मैथ्यु नोविकी को एक प्रारंभिक योजना का काम सौंपा, लेकिन 1950 में नोविकी की असामयिक मृत्यु हो गई। तब पंजाब सरकार के इंजीनियर यूरोप गए और आल्बर्ट मेयर की सलाह पर अन्य सहयोगियों में ब्रिटिश आर्किटेक्ट मैक्सवेल फ्राई और जेन ड्रू (जिन्होंने शुरुआत में आवास पर काम किया था) शामिल थे।

ली कोर्बुसिए ने मौजूदा नियोजन ढांचो को अपने दृष्टिकोण के अनुरूप ढाला। अल्बर्ट के साथ मिलाकर मेयर के लिए मानव-सदृश आकृति के अनुरूप एक सख्त ग्रिड लागू किया। 'सिर पर कैपिटल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 17 और शहर को भुजाओं और पैरों के साथ नागरिक और शैक्षिक क्षेत्र (एक मानवरूपी योजना)। पूरा कैपिटल कॉम्पलेक्स इस ग्रिड के उत्तरी छोर पर स्थित है, जिसके पीछे पहाड़ियाँ है, जो प्रतीकात्मक रूप से शहर का मुकुट है। ली कोर्बूसिए के अंतिम डिजाइन में, कैपिटल कॉम्पलेक्स में तीन इंटर लॉकिंग वर्ग शामिल थे जिनमें तीन प्रमुख इमारतें (विधानभवन, सचिवालय, उच्च न्यायालय) और प्रासादिक राजभवन शामिल थे।

डॉ॰ चन्द्र त्रिखा,
निदेशक,
हरियाणा हिन्दी साहित्य अकादमी

रामनारायण यादव,
सलाहकार,
माननीय अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा

राष्ट्रीयता' का अर्थ समझें 'स्याहपोश जरनैल' से

हमें 'राष्ट्रीयता' को सही अर्थों में समझना हो तो दिल्ली के एक भूले-बिसरे 'स्याहपोश जरनैल' को याद कर लें। उन्होंने लगभग 26 वर्ष ब्रिटिश शासन की जेल में काटे। पूरी उम्र काले वस्त्र पहने, पहले ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध रोष के लिए और बाद में साम्प्रदायिकता के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त करने के लिए। यानी पूरी जिन्दगी अन्याय के खिलाफ जंग में ही गुजार दी। जी हां! शायद विश्व के स्वाधीनता-संग्रामों के इतिहास में ऐसा दुर्लभ उदाहरण नहीं मिलता। आप शायद आसानी से यकीन न करें मगर यह तथ्य है कि स्वाधीनता सेनानियों की फेहरिस्त में एक ऐसा नाम भी शामिल है जिसने अपनी सारी जिन्दगी में सिर्फ काले वस्त्र ही पहने। उस व्यक्ति ने अपनी जवानी का एक लंबा हिस्सा ब्रिटिश साम्राज्य की जेलों में बिताया, मगर अपने वस्त्रों का रंग नहीं बदला। शहीद-ए-आजम भगत सिंह उन्हें 'स्याह जरनैल' भी कहा करते थे।

गत दिवस हरियाणा विधानसभा की एक गैलरी से गुजरा तो नजर एक फोटो पर टिक गई। यह फोटो भारत-पाक विभाजन के समय दिल्ली में आकर बसे लाला केदारनाथ सहगल की थी। इस चित्र का अनावरण डेढ़ दशक पूर्व उस समय के मुख्यमंत्री ने किया था। चित्र देखते ही उस शख्स का व्यक्तित्व ज़ेहन में कौंध गया। हम अक्सर कुछेक ऐसे स्वाधीनता सेनानियों को भी भुला बैठते हैं, जिनकी जिन्दगी का एक-एक लम्हा प्रेरक बिन्दु बन जाता है।

लाल केदारनाथ सहगल स्वाधीनता संग्राम के मध्य 1911 से लेकर 1947 तक 26 वर्ष जेल में रहे। एक बार तो जेल में रहते हुए ही 1945 में उन्होंने लाहौर से पंजाब विधानसभा का चुनाव भी जीता था। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद वह फरीदाबाद से विधायक चुने गए थे। उनकी स्वाभिमानी एवं जुझारू जिन्दगी की अनेक घटनाएं विलक्षण हैं। वह अपने संकल्पों के लिए कितने समर्पित थे, इस बात का अनुमान उनके जीवन से जुड़ी अनेक घटनाओं से लगाया जा सकता है। उनके व्यक्तित्व की एक विलक्षण बात यह भी थी कि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अपना विरोध प्रकट करने के लिए पूरी जुझारू जिन्दगी काले वस्त्र पहने। लाला लाजपत राय ने उन्हें अपने अखबार वन्दे मातरम का प्रकाशक एवं महाप्रबंधक बनाया था।

अक्तूबर 1899 में लाहौर में जन्मे इस विलक्षण स्वाधीनता सेनानी ने 25 फरवरी 1963 को दिल्ली में अंतिम सांस ली थी। लाला केदारनाथ भी शहीद-ए-आजम भगत सिंह के साथियों में शुमार थे। वह उन दिनों शहीदे आजम द्वारा स्थापित नौजवान भारत सभा की पहली पंक्ति में थे। यह सभा 12 अप्रैल, 1928 को गठित की गई थी। इसकी गतिविधियां लाहौर व मेरठ से संचालित होती थी। उन्हीं दिनों 'लाहौर-पड्यंत्र केस' के साथ-साथ 'मेरठ षड्यंत्र केस' भी ब्रिटिश हुकूमत ने गढ़ा था। 'गढ़ा' शब्द का प्रयोग सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऐसे मामलों में गवाह भी झूठे होते थे और पूरा इस्तगासा भी झूठ पर आधारित होता था। यहां तक कि शहीद-ए-आजम भगत सिंह को जिस 'केस' में फांसी हुई थी, वह भी 'गढ़ा' गया था। उनके खिलाफ एक मुकद्दमा अब भी लाहौर में विचाराधीन है।

मार्च 1929 में वहां 'मेरठ-षड्यंत्र केस' के तहत जिन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था उनमें लाला केदारनाथ सहगल, सोहन सिंह जोश और अब्दुल मजीद प्रमुख थे। शहीदे आज़म ने स्वयं उनकी गिरफ्तारी की कड़े शब्दों में निंदा की थी। शहीदे आज़म वैसे भी केदारनाथ सहगल को अपना भाई मानते थे और जब भी मिलते, उनसे गले मिलते। उनका नाम 'लाहौर षड्यंत्र केस' में भी शामिल था। उनके अन्य सहयोगियों व समकालीनों में रास बिहारी बोस, विष्णु गणेश पिंगले, चंद्र शेखर आज़ाद, सूफी अम्बा प्रसाद और भाई परमानंद भी शामिल थे। उनके घनिष्ट सहयोगियों में 'पंजाब केसरी' के संस्थापक लाला जगत नारायण और पूर्व उप प्रधान मंत्री चौधरी देवीलाल भी शामिल थे। यह विचित्र विसंगति ही है कि पंजाब या हरियाणा में ऐसे विलक्षण स्वतंत्रता सेनानी का कोई उपयुक्त स्मारक भी नहीं है। उनके एक सहयोगी कामरेड क्रांति कुमार भी थे जो नौजवान भारत सभा के दूसरे महासचिव बने थे। क्रांति कुमार बाद में पानीपत में जा बसे थे, वहां 1966 में उन्हें एक उन्मादी भीड़ ने

जीवित जला दिया था। क्रांति कुमार बताते थे कि यद्यपि सभा के संस्थापक स्वयं भगत सिंह थे, मगर 1928 में सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता लाला केदारनाथ से ही कराई गई थी।

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भी वह 15 वर्ष तक काले वस्त्र ही पहनते रहे। उन्हें इस बात का गहरा दुख था कि जिस स्वाधीनता के लिए हिन्दू, मुस्लिम मिलकर जूझे थे, उसको प्राप्ति के समय दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। अगस्त 1942 में 'भारत छोड़ो आंदोलन' में तीन वर्ष के लिए नजरबंद कर लिए गए थे। सन् 1945 में जब लाहौर जेल में थे तो उनको साथियों ने पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया और वह 8000 मतों से जीत गए। सन् 1952 से 1957 तक वह फरीदाबाद से पंजाब विधानसभा के सदस्य थे। कुछ समय तक पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भीम सेन सच्चर के मंत्रिमण्डल में उप-मंत्री के पद पर भी रहे।

उस समय भी यह जन-कल्याण के लिए और गुलामी से थकी हारी हुई जनता के उत्थान के लिए कार्य करते रहे, विशेष तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में। अंत में 1963 में हृदय गति रुक जाने के कारण देहांत हो गया और इस स्याह पोश जरनैल का कफ़न भी काले रंग का ही था। उनके पोते राजीव सहगल व अन्य परिवार- सदस्य इस समय दिल्ली में ही रहते हैं और सिविल लाइंस की जिस कॉलोनी में रहते हैं, वह “सहगल कॉलोनी” के नाम से ही जानी जाती है। लाल केदारनाथ सहगल की स्मृतियों का उनके परिवार ने तो अब तक सम्भाला हुआ है, मगर पंजाब-हरियाणा की सरकारों को उनकी याद ज्यादा नहीं आती।

डॉ॰ चन्द्र त्रिखा ,
निदेशक,
हरियाणा हिन्दी साहित्य अकादमी

विधायी उपकरण
शून्यकाल- विधायिका की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया

शून्यकाल वस्तुतः शून्य नहीं होता। इसके माध्यम से भी विधायिका के इतिहास का एक अध्याय लिखा जा सकता है। श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, तत्कालीन माननीय अध्यक्ष, मध्य प्रदेश विधानसभा की पुस्तक ''प्रश्नकाल से शून्यकाल तक'' पृष्ठ 365, 366, 375 के अनुसार; सत्रकाल में सदस्यगण अपने क्षेत्रों से दूर निवास करते हैं। उनकी सूचना के स्त्रोत दैनिक समाचार-पत्र, टेलीविजन, रेडियो या टेलीप्रिन्टर ही होते हैं। यदा-कदा उन्हें क्षेत्र का कोई व्यक्ति आकर सूचना प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में उन्हें लघु घटना भी दीर्घकाय दृष्टिगत होती है। वे ऐसी घटना या समस्या के प्रति सदन का ध्यान तत्काल आकर्षित करना चाहते हैं। इस हेतु स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य कोई प्रक्रिया उपलब्ध नहीं होती हैं जिसे अपनाते हुए वे अपनी भावनाओं को उस दिन सदन में वाणी दे सकें। परन्तु स्थगन एवं ध्यानाकर्षण की प्रक्रियाएँ बहुत जटिल हैं और अनिश्चित भी हैं। ऐसी स्थिति में प्रश्नकाल के तत्काल उपरान्त कार्य सूची में अंकित कार्य के आरम्भ होने के पूर्व उसे विराम महसूस होता है। यह विराम एक शून्य को जन्म देता है जिसका उपयोग सदस्य तत्काल अपनी समस्याओं को उठाने हेतु करने के इच्छुक होते हैं फलतः समस्त सदन एक व्यक्ति के समान उठकर खड़ा हो जाता है और सभी एक साथ अपनी समस्याओं पर बोलना शुरू कर देते हैं जिससे केवल अव्यवस्था ही फैलती है।

लोक सभा में शून्यकाल शब्द का उद्भव सन् 1960 के आसपास से ही है जब प्रश्नकाल के तुरंत बाद सदस्यों द्वारा अविलंबन लोकहित के मामलों को स्थगन प्रस्ताव, व्यवस्था का प्रश्न इत्यादि की तरह उठाया जाने लगा। यद्यपि अध्यक्ष इस प्रश्न की अधिकांश सूचनाओं की अनुमति नहीं देते थे किन्तु इस बहाने से कभी-कभी सदस्यों को सभा में मामलों का उल्लेख करने का अवसर मिल जाता था और कुछ हद तक वे ऐसे मामलों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहते थे।

धीरे-धीरे प्रश्नकाल के बाद और सभा के कार्य को सूचीबद्ध मदों को लेने से पहले के बीच के मध्यान्तर काल का उपयोग सदस्य इस प्रकार के मामलों को उठाने में करने लगे और यह परिपाटी सभा की कार्यवाही का लगभग नियमित अंग बन गई। इस समय का उपयोग जागृत-सचेत सदस्यों ने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के बारे किया तथा उसके माध्यम से सरकार का ध्यान बड़ी दक्षता से आकर्षित किया। समय बीतने के साथ ही शून्यकाल की कार्यवाहियां मीडिया की सुर्खियां बनने लगी और सदस्य लोकहित के विषयों को सदन में सुचारू रूप से उठाने लगे। इससे सदन के बहुमूल्य समय पर अप्रत्याशित अतिक्रमण-बाधा पर अकुंश लग पाया। वर्तमान में लोकहित के यह महत्वपूर्ण मामलों को उठाने और सरकार का ध्यान आकर्षित करने का साधन बन गया। यद्यपि शून्यकाल सामान्य कार्य के निपटान को सुनिश्चित करने में बाधा भी थी परन्तु संसदीय परिपाटी में इसके योगदान व उपयोगिता को आवश्यक माना जाने लगा।

मध्य प्रदेश ने 1967 में लोकसभा की तर्ज पर तत्सम्बन्धि कुछ नियमों में बदलाव किये। इस पर एक स्वतंत्र सभा-समिति की मध्य प्रदेश, बिहार व उत्तर प्रदेश विधान सभाओं ने संरचना भी की।

ध्यानाकर्षण के समान शून्यकाल भी भारतीय संसदीय विशेषज्ञों की देन है। लोक सभा में प्रतिदिन कार्यवाही 11.00 बजे से आरम्भ होती है और उसके एक घण्टे पश्चात ठीक 12.00 बजे तथाकथित शून्यकाल आरम्भ हो जाता है अब उसे लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 377 के अन्तर्गत सीमित किया गया है जो निम्नांकित है:-

जो सदस्य सभा की जानकारी में कोई ऐसा विषय लाना चाहे जो औचित्य प्रश्न न हो तो वह महासचिव को लिखित रूप में सूचना देगा जिसमें संक्षेप में उस विषय को बतायेगा, जिसे वह सभा में उठाना चाहता हो तथा साथ में कारण भी बतायेगा कि वह उसे क्यों उठाना चाहता है और उसे ऐसा प्रश्न उठाने की अनुज्ञा अध्यक्ष द्वारा सम्मति दी जाने के बाद ही तथा ऐसे समय और तिथि के

लिए दी जायेगी जो अध्यक्ष निश्चित करें।

लोक सभा में सन् 1990 में 'शून्यकाल' को विनियमित करने का निर्णय लिया गया ताकि सदन के कार्यों का सुचारू ढंग से निपटान सुनिश्चित किया जा सके और पीठासीन अधिकारी को पहले से यह भी पता चल सके कि सदस्य कौन से मुद्दे उठाना चाहते हैं। इस प्रकार लोक सभा में अप्रैल, 1990 से प्रतिदिन 7 सदस्यों को 1-1 मिनट अपनी बात रखने की प्रथा शुरू हुई, जो बाद में बढ़ाकर 15 सदस्यों तक कर दी गई।

लोक सभा में शून्यकाल के बारे में 2004-2005 में कुछ और सुधार हुए। 21 अप्रैल, 2005 को 'शून्यकाल' के अंतर्गत विशेष उल्लेखों के आरंभ होने से पहले अध्यक्ष ने प्रश्नकाल के बाद अविलंबनीय लोकमहत्व के मामले उठाये जाने के विनियमन और नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलो की संख्या प्रतिदिन 15 से बढ़कर 20 कर दी जिससे कि अधिक सदस्य अपने मुद्दे उठा सकें। इस विनिर्णय के अनुरूप प्रस्ताव किया गया कि 25 अप्रैल, 2005 से प्रश्नकाल के बाद अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों को उठाने संबंधी सूचनाएं जिस दिन मामलों को उठाया जाना है उस दिन पूर्वाह्न 10.00 बजे तक आ जानी चाहिए जिससे कि सूचनाओं की जांच के बाद कथित 'शून्यकाल' आरंभ होने से पूर्व ही, अध्यक्षपीठ की अनुमति की जानकारी दी जा सके। प्रस्ताव के अनुसार सभी सदस्यों द्वारा अपने मामले उठाए जाने के पश्चात् यदि समय बचता है तो अन्य सदस्यों को भी उस क्रम में मुद्दे उठाने की अनुमति दी जाएगी जिस क्रम में अध्यक्ष द्वारा विनिर्णय किया जाएगा। साथ ही ऐसे मामलों की संख्या, जो वर्तमान में प्रतिदिन 15 है, को बढ़ाकर प्रतिदिन 20 कर दिया गया।

हरियाणा विधान सभा में इसकी पुरानी प्रथा है जो 1966 से ही देखी जा सकती है जब चौ॰ मुख्त्यार सिंह मलिक व डा॰ मंगल सेन सदस्यों ने पहली बैठक से ही विभिन्न विषय उठाने शुरू कर दिये थे। वर्तमान में 15वीं विधान सभा में माननीय अध्यक्ष ने शून्यकाल को जनहित में और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से सदन को सूचित किया। इसकी अवधि 1 घंटे करके, बैठक से एक दिन पहले तक आये नोटिसों की जांच करके व सहमति देकर, सदस्यों को इन विषयों को उठाकर सदन का ध्यान आकर्षित करने की प्रणाली को प्रभावी बनाया। हालांकि हरियाणा विधान सभा में भी शून्यकाल नियमों का हिस्सा अभी तक नहीं बना है।

10 मार्च 2025 को माननीय अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा ने लोकहित में शून्यकाल की उपयोगिता को देखते हुए निर्णय लिया कि शून्यकाल में लम्बे सत्र में 3 मिनट की जगह हर सदस्य को 5 मिनट का समय मिले तथा जो छोटी अवधि के सत्र होते हैं उसमें समय की एक सीमा होती है इसलिए शून्यकाल में सभी सदस्यों को सीमित शब्दों का लिखा हुआ जनहित का नोटिस पढ़ने का मौका दिया जाये। इससे प्रदेश के लोगों की अपने जन प्रतिनिधियों से सदन में उनकी समस्याओं को दूर करने और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवाज उठाने की अधिक उम्मीद भी जगी। संसदीय सुधार की तरफ शून्यकाल बारे यह एक और प्रभावी कदम आगे बढ़ाते हुए यह प्रथा 15वीं हरियाणा विधान सभा के प्रथम वर्ष में लागू हुई।

रामनारायण यादव
सलाहकार
माननीय अध्यक्ष, हरियाणा विधानसभा

हरियाणा राज्य गीत

(दिनांक 28 मार्च, 2025 को अंतिम रूप दिया गया, 15 दिसम्बर 2023 को पहली बार विधान सभा में गायन हुआ)

जय जय जय हरियाणा जय जय जय हरियाणा
पावन धरती वेदों की, जहां हुआ हरि का आणा ।।
जय जय जय हरियाणा.....

गीता ज्ञान धरोहर इसकी, महाभारत इतिहास।
मुकुट शिवालिक आधार अरावली,यमुना बहती पास।
मौज मनावैं, कातक न्हावैं, पूरी मन की आस।
सरस्वती के अमृत रस का, यहीं सदा है वास।
सादा जीवन सादा बाणा,दूध दही का खाणा।
जय जय जय हरियाणा 2

छैल छबीले मर्द निराले, सुन्दर स्याणी नार।
होली, दिवाली, ईद, गुरपुरब, मनते तीज त्योहार।
भाईचारा जग से न्यारा बढे प्यार में प्यार।
दिन दूणा अर रात चौगुणा, शिक्षा और व्यापार।
बजते डेरू, ढोल, नगाड़े, सांग, रागणी गाणा।
जय जय जय हरियाणा 2

उपजाते हैं फसल सुनहरी, खेतों बीच किसान।
खेल खिलाड़ी मैडल लाकर करें देश का मान।
सीमाओं पर हरदम चौकस यहां के वीर जवान।
छोटा सा प्रदेश, देश की अजब निराली शान।
अतिथि देवो भवः यहां सेवा धर्म निभाणा।
जय जय जय हरियाणा ....
जय जय जय हरियाणा ....

हरियाणा विधान सभा के माननीय सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम